भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016[1]

[04.03.2021 तक संशोधित]

आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी005.– दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 5, धारा 33, धारा 34, धारा 35, धारा 37, धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 43, धारा 45, धारा 49, धारा 50, धारा 51, धारा 52, धारा 54, धारा 196 और धारा 240 के साथ पठित धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. **लघु शीर्ष एवं आरम्भ:**

(1) इन विनियमनों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये विनियमन भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे:

(3) ये विनियमन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के भाग-II के अध्याय-III के अधीन समापन प्रक्रिया के लिए लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमनों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "कारपोरेट ऋणी की बही" से अभिप्रेत है।

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(13) और धारा 2(40) में यथापरिभाषित लेखाबही और वित्तीय कथन;

(ii) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 34 में यथाउल्लिखित लेखाबही;

(iii) लागू किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट लेखाबही;

या जैसा भी मामला हो

(ख) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता, 2016 अभिप्रेत है;

[2][(खक) "परामर्श समिति" से विनियम 31क के अधीन गठित हितधारक परामर्श समिति अभिप्रेत है;]

(ग) "अंशदाता" से कंपनी का कोई सदस्य, सीमित देयता भागीदारी का कोई भागीदार और ऐसा अन्य कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो कंपनी के समापन की स्थिति में कारपोरेट ऋणी की आस्तियों में अंशदान करने के लिए जिम्मेदार हो;

---

[1] अधिसूचना सं.आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी005., दिनांकित 15-12-2016, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-III खण्ड 4 में प्रकाशित।

[2] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा अंतस्थापित ।

[3][(गक) कारपोरेट समापन खाता"से बोर्ड द्वारा विनियम 46 के अधीन रखा गया और प्रचालित कारपोरेट समापन खाता अभिप्रेत है;]

(घ) "इलेक्ट्रोनिक माध्यम" से ऐसा प्राधिकृत और सुरक्षित कंप्यूटर कार्यक्रम अभिप्रेत है जो ऐसी सूचना प्राप्त करने के हकदार सहभागी उनके अंतिम इलेक्ट्रोनिक मेल पते पर सूचना भेजने की पुष्टि करने और ऐसी सूचना का रिकार्ड रखने में सक्षम है;

(ङ) "पहचान संख्या" से सीमित देयता भागीदार पहचान संख्या या कारपोरेट पहचान संख्या, जैसा भी मामला हो, से अभिप्रेत है;

[4][(ङक) धारा 5 की उपधारा (16) के अधीन "समापन लागत" से अभिप्रेत है -

(i) विनियम 4 के अधीन परिसमापक को संदेय फीस;

(ii) परिसमापक द्वारा विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन संदेय पारिश्रमिक;

(iii) परिसमापक द्वारा विनियम 24 के उप-विनियम (2) के अधीन उपगत लागत;

(iv) कारपोरेट ऋणी की आस्तियों और संपत्तियों, चीज़बस्त और वादयोग्य दावे के, जिसके अंतर्गत प्रतिभूत आस्तियां भी हैं, परिरक्षण और संरक्षण पर उपगत लागत;

(v)परिसमापक द्वारा कारपोरेट ऋणी के कारबार को एक चालू समुत्थान के रूप में चलाने में उपगत लागत;

(vi) अंतरिम वित्तपोषण पर बारह मास की अवधि के लिए या समापन प्रारंभ होने की तारीख से अंतरिम वित्तपोषण का प्रतिदाय किए जाने तक की अवधि के लिए, इनमें से जो भी निम्नतर हो, ब्याज;

(vii) विनियम 2क के उप-विनियम (3) के अधीन अंशदाताओं को प्रतिदेय रकम;

(viii) परिसमापक द्वारा उपगत ऐसी कोई अन्य लागत, जो समापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक है:

परन्तु परिसमापक द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 230 के अधीन समझौते या ठहराव, यदि कोई है,के संबंध में उपगत कोई लागत, यदि कोई है, समापन लागत का भाग गठित नहीं करेगी।]

(च) "प्रारंभिक रिपोर्ट" से विनियमन 13 के अनुसरण में तैयार की गई रिपोर्ट से अभिप्रेत है;

(छ) "प्रगति रिपोर्ट" से विनियमन 15 के अनुसरण में तैयार की गई तिमाही रिपोर्ट से अभिप्रेत है;

(ज) "पंजीकृत मूल्यांकक" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में पंजीकृत व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(झ) "अनुसूची" से इन विनियमनों की अनुसूची से अभिप्रेत है;

(ज) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है; और

---

[3] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.053, दिनांकित 06-01-2020 द्वारा अंतःस्थापित।

[4] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ट) “पक्षकारों" से इस संहिता की धारा 53 के अधीन प्राप्तियों के वितरण के लिए हकदार पक्षकारों से अभिप्रेत है।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन वियनियमों के प्रयुक्त परंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें परंतु संहिता में परिभाषित किया गया है, के वही आशय होंगे जो कि इन्हें इस संहिता में दिए गए हैं।

[5][**2क. समापन लागतमे अंशदान**

(1) जहां लेनदारों की समिति, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 39ख के उप-विनियम (3) के अधीन किसी योजना का अनुमोदन नही करती है वहां परिसमापक,संस्थागत वित्तीय लेनदारों से, वित्तीय संस्थाएं होने के कारण यह अपेक्षा करेगा कि वे उसके द्वारा यथा-प्राक्कलित कारपोरेट ऋणी की नकद आस्तियों के मुकाबले समापक लागत के आधिक्य का कारपोरेट ऋणी द्वारा उन्हें देय वित्तीय ऋणों के अनुपात में अंशदान करें ।

दृष्टांत

मान लीजिए, परिसमापक द्वारा यथा-प्राक्कलित नकद आस्तियों के मुकाबले समापन लागत का आधिक्य 10 रुपए है। वित्तीय लेनदारों से निम्न प्रकार अंशदान करने की अपेक्षा की जाएगी:

क्रम सं.	*वित्तीय लेनदार*	*वित्तीय लेनदारों को देय ऋण की रकम(रुपयों में)*	*समापन लागत मद्धे अंशदान की जाने वाली रकम(रुपयों में)*
1	*वित्तीय संस्थाक*	*40*	*04*
2	*वित्तीय संस्था ख*	*60*	*06*
3	*गैर- वित्तीय संस्था क*	*50*	*00*
4	*गैर- वित्तीय संस्था ख*	*50*	*00*
योग		*200*	*10*

(2) यथास्थिति, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 39ख के उप-विनियम (3) के अधीन योजना मेअनुमोदित अंशदान या उप-विनियम (1) के अधीन अनुमोदित अंशदान, किसी अनुसूचित बैंक में खोले और रखे जाने वाले किसी अभिहित एस्क्रो खाते में समापन आदेश पारित करने के सात दिन के भीतर जमा कराया जाएगा ।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन अंशदान की गई रकम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 49 में निर्दिष्ट बैंक दर पर ब्याज सहित समापन लागत के भागस्वरूप प्रतिदेय होगी ।

2ख. समझौता या ठहराव

(1) जहां कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 230 के अधीन किसी समझौते या ठहराव का प्रस्ताव किया जाता है वहां उसे धारा 33 की उपधारा (1) और उपधारा (4) के अधीन समापन आदेश के नब्बे दिन के भीतर पूरा किया जाएगा ।

---

[5] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा अंतस्थापित।

[6][परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो संहिता के अधीन कारपोरेट ऋणी के दिवाला समाधान के लिए कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने का पात्र नहीं है, ऐसे समझौते या ठहराव का किसी रीति में कोई पक्षकार नहीं होगा ।]

(2) समझौते या ठहराव पर लिया गया नब्बे दिन से अनधिक समय समापन अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा ।

(3) परिसमापक द्वारा समझौते या ठहराव के संबंध में उपगत कोई लागत कारपोरेट ऋणी द्वारा वहन की जाएगी, जहां ऐसे समझौते या ठहराव को धारा 230 की उपधारा (6) के अधीन अधिकरण द्वारा मंजूरी दी जाती है:

परन्तु ऐसी लागत उन पक्षकारों द्वारा वहन की जाएगी जिन्होंने समझौते या व्यवस्था का प्रस्ताव किया था, जहां ऐसे समझौते या ठहराव को धारा 230 की उपधारा (6) के अधीन अधिकरण द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है ।]

अध्याय-II

परिसमापक की नियुक्ति और पारिश्रमिक

3. परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता

(1) कोई दिवाला व्यावसायिक परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि वह और उस दिवाला व्यावसायिक संस्था, जिसका वह भागीदार या निदेशक है, का प्रत्येक भागीदार या निदेशक कारपोरेट ऋणी से स्वतंत्र है।

स्पष्टीकरण- किसी व्यक्ति पर कारपोरेट ऋणी से स्वतंत्र होने पर विचार किया जाएगा, यदि वह

(क) यदि कारपोरेट ऋणी एक कंपनी है तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 149 के अधीन कारोपोरेट ऋणी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है;

(ख) कारपोरेट ऋणी का संबंधित पक्ष नहीं है; या

(ग) कर्मचारी या मालिक या भागीदार नहीं रहा है:

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में -

(i) कारपोरेट ऋणी के लेखा परीक्षक या [7][सचिवीय लेखापरीक्षक] या लागत लेखापरीक्षकों की किसी फर्म का; या

(ii) किसी कानूनी या परामर्शदाता फर्म का जिसका उस फर्म के सकल आवर्त में दस प्रतिशत या अधिक अंशदान करने वाले कारपोरेट ऋणी के कोई संव्यवहार है।

(2) परिसमापक संबंधित कापोरेट ऋणी या इसके किसी पक्षकार के साथ कोई वित्तीय या व्यक्तिगत संबंध होने की जानकारी मिलते ही उसे बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी को देगा।

(3) कोई दिवाला व्यावसायिक परिसमापक के रूप में कार्य जारी नहीं रखेगा यदि वह दिवाला व्यावसायिक संस्था जिसका वह व्यक्ति निदेशक या भागीदार है, या दिवाला व्यावसायिक संस्था का अन्य कोई भागीदार या निदेशक उसी समापन में किसी अन्य पक्षकार का प्रतिनिधित्व करता है।

---

[6] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.053, दिनांकित 06-01-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

[7] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.028, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. [8][परिसमापक की फीस

(1) परिसमापक को संदेय फीस भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 39घ के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा लिए गए विनिश्चय के अनुसार होगी ।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न मामलों में, परिसमापक -

(क) उसी दर पर, जिस पर समाधान व्यावसायिक, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का18) की धारा 230 के अधीन समझौते या ठहराव की अवधि के लिए हकदार था; और

(ख) समापन की शेष अवधि के लिए अन्य समापन लागत को घटाने के पश्चात् वसूल की गई शुद्ध रकम और वितरित रकम के प्रतिशत के रूप में, निम्न प्रकार फीस का हकदार होगा:

वसूल/वितरित की गई रकम (रुपयों में)	वसूल/वितरित की गई रकम पर फीस की प्रतिशतता		
	प्रथम छह मास में	अगले छह मास में	उसके पश्चात्
वसूली की रकम (समापन लागत घटाकर)			
प्रथम 1 करोड़ पर	5.00	3.75	1.88
अगले 9 करोड़ पर	3.75	2.80	1.41
अगले 40 करोड़ पर	2.50	1.88	0.94
अगले 50 करोड़ पर	1.25	0.94	0.51
वसूल की गई अतिरिक्त धनराशियों पर	0.25	0.19	0.10
हितधारकों को वितरित की गई रकम			
प्रथम एक करोड़ पर	2.50	1.88	0.94
अगले 9 करोड़ पर	1.88	1.40	0.71
अगले 40 करोड़ पर	1.25	0.94	0.47
अगले 50 करोड़ पर	0.63	0.48	0.25
वसूल की गई अतिरिक्त धनराशियों पर	0.13	0.10	0.05

(3) जहां फीस उप-विनियम (2) के खंड (ख) के अधीन संदेय है, वहां परिसमापक वसूल की गई रकम वितरित किए जाने के पश्चात् ही ऐसी वसूली पर संदेय आधी फीस प्राप्त करने का हकदार होगा।

[8] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

स्पष्टीकरण: इन विनियमों का विनियम 4, जैसा कि वह भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया)(संशोधन) विनियम, 2019 के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान था, उनसमापन प्रक्रियायों के संबंध में लागू बना रहेगा जो उक्त संशोधन विनियमों के प्रवर्तन में आने से पूर्व आरंभ की गई हैं ।]

[9][स्पष्टीकरण: खड (ख) के प्रयोजनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां कोई परिसमापक किसी रकम की वसूली करता है किन्तु उसे वितरित नहीं करता है वहां वह अपने द्वारा वसूल की गई रकम के अनुरूप फीस का हकदार होगा । जहां कोई परिसमापक ऐसी किसी रकम को वितरित करता है जो उसके द्वारा वसूल नहीं की गई है वहां वह उसके द्वारा वितरित की गई रकम के अनुरूप फीस का हकदार होगा।]

अध्याय-III
समापकों की शक्तियां और कार्य

5. रिपोर्टिंग

(1) परिसमापक इन विनियमनों में यथाविहित रीति में न्यायनिर्णायक अधिकारी को तैयार और प्रस्तुत करेगा:

(क) एक प्रारंभिक रिपोर्ट;

(ख) आस्ति ज्ञापन;

(ग) प्रगति रिपोर्ट (रिपोर्ट);

(घ) बिक्रय रिपोर्ट (रिपोर्ट);

(ङ) पक्षकारों के साथ परामर्श के कार्यवृत्त; और

(च) विघटन से पहले अंतिम रिपोर्ट।

(2) परिसमापक कारपोरेट ऋणी के विघटन के बाद पांच वर्ष तक उक्त विनयिमन (1) में उल्लिखित रिपोर्टों और कार्यवृत्त की एक भौतिक के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक प्रतिलिपि भी सुरक्षित रखेगा।

(3) इन विनियमनों के अन्य उपबंधों को अधीन परिसमापक उपविनियमन (1) में उल्लिखित रिपोर्ट और कार्यवृत्त लिखित में आवेदन और ऐसी रिपोर्ट तथा कार्यवृत्त निम्नलिखित के प्राप्त होने के बाद पक्षकारों को इलेक्ट्रानिक या भौतिक रूप में उपलब्ध कराएगा:

(क) लिखित प्रार्थना पत्र;

(ख) ऐसी रिपोर्टो तथा कार्यवृत्त को बनाने की लागत लेने पर; और

(ग) पक्षकार जो उक्त विनियमन (3) के अधीन रिपोर्ट और कार्यवृत्त प्राप्त करता है, ऐसी रिपोर्टों और कार्यवृत्त की गोपनीयता बनाए रखेगा और स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि पहुंचाने के लिए इनका प्रयोग नहीं करेगा।

6. रजिस्टर और लेखाबही

(1) यदि समापन प्रारंभ करने की तारीख को कारपोरेट ऋणी की लेखाबही पूरी नहीं है तो परिसमापक उसे समापन का आदेश पारित होते ही यथासंभव पूरा करेगा तथा अध्यतन करेगा।

---

[9] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.062, दिनांकित 05-08-2020 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) परिसमापक कारपोरेट ऋणी के समापन के संबंध में निम्नलिखित रजिस्टर और बही, जो भी लागू हो, का रख-रखाव करेगा और उन्हें कारपोरेट ऋणी के विघटन के बाद आठ वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखेगा -

(क) नगदी बही;

(ख) रजिस्टर;

(ग) बैंक रजिस्टर;

(घ) स्थिर आस्तियों और सामान का रजिस्टर;

(ङ) प्रतिभूतियों और निवेश का रजिस्टर;

(च) बही ऋण और बकाया ऋण का रजिस्टर;

(छ) किराएदार रजिस्टर;

(ज) वाद रजिस्टर;

(झ) डिक्री रजिस्टर;

(ञ) दावों और लाभांश का रजिस्टर;

(ट) अंशदाता बही;

(ठ) वितरण रजिस्टर;

(ड) फीस रजिस्टर;

(ढ) उचंति रजिस्टर;

(ण) दस्तावेज रजिस्टर;

(त) बही रजिस्टर;

(थ) [10][अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों का रजिस्टर; और]

(द) कारपोरेट ऋणी के संबंध में उसके द्वारा किए जाने वाले संव्यवहारों के लिए आवश्यक समझे जाने वाली अन्य कोई बही।

(3) विनियम (2) में उल्लिखित सभी रजिस्टर व बही अनुसूची-III में दर्शाए गए प्रारूपों के अनुसार रख-रखाव किया जाएगा, ऐसे सभी परिवर्तनों के साथ जिसे परिपरिसमापक समापन प्रक्रिया के दौरान उन सभी तथ्यों व परिस्थितियों के संबंध में उचित मानता हो।

(4) परिसमापक उसके द्वारा उसके किए गए सभी भुगतान और व्यय के वाउचर रखेगा।

7. व्यावसायिकों की नियुक्ति

(1) परिसमापक अपने दायित्वों, बाध्यताओं और कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक तर्कसंगत पारिश्रमिक के साथ व्यावसायिक नियुक्त कर सकता है जो समापन लागत का एक भाग होगा।

(2) परिसमापक उप विनियमन (1) के अधीन किसी ऐसे व्यावसायिक को नियुक्त नहीं करेगा जो उसका संबंधी है या कारपोरेट ऋणी का संबंधित पक्ष रहा है या जो समापन प्रारंभ होने की तारीख से पहले आठ वर्षों में जिसने कारपोरेट ऋणी के लिए लेखा परीक्षक के रूप में कार्य किया है।

---

[10] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.053, दिनांकित 06-01-2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) उपविनियमन (1) के अधीन नियुक्त या नियुक्ति के लिए प्रस्तावित कोई व्यावसायिक किसी पक्षकार या संबंधित कारपोरेट ऋणी के साथ किसी वित्तीय या व्यक्तिगत संबंध के अस्तित्व की जानकारी मिलते ही इसकी सूचना परिसमापक को देगा।

8. पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श

(1) धारा 35(2) के अधीन परामर्श देने वाले पक्षकार कारपोरेट ऋणी के समापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए परिसमापक को सभी प्रकार की सहायता और सहयोग देंगे।

(2) परिसमापक इस विनियमन के अधीन पक्षकारों के साथ किए गए विचार-विमर्श के विवरण अनुसूची-II के प्ररूप क में यथाविहित रखेगा।

9. परिसमापक को सहयोग देने के लिए कार्मिक

(1) परिसमापक न्यायनिर्णायक अधिकारी को यह निदेश देने के लिए आवेदन करेगा कि कोई व्यक्ति जो -

(क) कारपोरेट ऋणी का एक अधिकारी, लेखा परीक्षक, कर्मचारी, संप्रवर्तक या भागीदार है या रहा है;

(ख) कारपोरेट ऋणी का अस्थायी समाधान व्यावसायिक, समाधान व्यावयायिक या पूर्व परिसमापक था; या

(ग) जिसके पास कारपोरेट ऋणी की किसी संपत्ति का कब्जा है। समापन करवाने के लिए आवश्यक सूचना एकत्र करने में उसका सहयोग करेगा।

(2) इस विनियमन के अधीन आवेदन परिसमापक द्वारा ऐसे व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने के लिए किए गए यथोचित प्रयासों और उन प्रयासों के विफल होने के बाद ही कर सकता है।

10. सभार संपत्ति का डिस्कलेमर

(1) यदि कारपोरेट ऋणी की संपत्ति के किसी भाग में -

(क) किसी पट्टे की भूमि जिस पर सभार प्रतिज्ञा पत्र है;

(ख) कंपनियों में शेयर या स्टॉक;

(ग) कोई अन्य ऐसी संपत्ति जो उसके धारक द्वारा किसी सभार कार्य के निष्पादन या किसी धनराशि के भुगतान के कारण बेचने योग्य नहीं या तत्काल नहीं बेची जा सकती; या

(घ) अलाभकारी संविदाएं; परिसमापक इस बात के होते हुए भी कि उसने संपत्ति को बेचने या उसका कब्जा लेने का प्रयास किया है या उसके संबंध में स्वामित्व में लेने का कोई कार्य किया है या संविदा के अनुसरण में कोई कार्य किया है तो वह समापन आरंभ होने की तारीख से छः माह के अंदर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि जैसा कि न्यायनिर्णायक अधिकारी अनुमति दे, को संपत्ति या संविदा का दावा छोड़ने के लिए आवेदन दे सकता है।

(2) परिसमापक उप विनियमन (1) के अधीन आवेदन नहीं करेगा यदि संपत्ति या संविदा में इच्छुक कोई व्यक्ति लिखित में पूछताछ करता है कि क्या वह इस प्रकार से संपत्ति का दावा छोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है और उसने ऐसी पूछताछ की प्राप्ति से एक माह के अंदर ऐसा करने के अपने आशय को सूचित नहीं किया हो।

(3) परिसमापक न्यायनिर्णय अधिकारी को डिस्केलमर के लिए आवेदन करने से कम से कम सात दिन पहले सभार संपत्ति या संविदा में इच्छुक व्यक्तियों को एक नोटिस देगा:

स्पष्टिकरण: कोई व्यक्ति संभार संपत्ति या संविदा में इच्छुक है यदि वह -

(क) संविदा के लाभ का हकदार है या उसके भार के लिए दायी है; या

(ख) किसी अदावाकृत संपत्ति में इच्छूक होने का दावा करता है या अदावाकृत संपत्ति के संबंध में निर्वहन न की गई देयता के अधीन है।

(4) निर्णय अधिकारी द्वारा ऐसे डिस्क्लेमर को अनुमोदित करने के आदेश के अधीन यह डिस्क्लेमर इसकी तारीख से कारपोरेट ऋणी या दावा छोड़ी गई संपत्ति या संविदा के संबंध में अधिकारों, हित और देयताओं को निर्धारित करने के लिए कार्य करेगा, परंतु यह कारपोरेट ऋणी और कारपोरेट की संपत्ति को देयता से मुक्त करने के प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों, हित या देयताओं को प्रभावित नहीं करेगा।

(5) इस विनियमन के अधीन डिस्क्लेमर से प्रभावित किसी व्यक्ति को इस प्रभाव के संबंध में देय हर्जाने या क्षतिपूर्ति की राशि के लिए कारपोरेट ऋणी का लेनदार माना जाएगा और उसे तदनुसार धारा 53(1)(च) के अधीन समापनाधीन ऋण देय होगा।

11. अतिशय ऋण संव्यवहार

किसी संव्यवहार को धारा 50(2) के अधीन अतिशय ऋण संव्यवहार माना जाएगा यदि शर्तों में-

(1) कारपोरेट ऋणी के लिए उपलब्ध कराए गए ऋण के संबंध में अतिशय भुगतान करना अपेक्षित है;

(2) संविदाओं से संबंधित विधि के सिद्धांतों के अधीन अत्यधिक अनुचित है।

अध्याय-IV

समापन करना

12. परिसमापक द्वारा समापन की सार्वजनिक घोषणा

(1) परिसमापक अपनी नियुक्ति के पांच दिन के अंदर इन विनियमनों की अनुसूची-II के प्ररूप ख में एक सार्वजनिक घोषणा करेगा।

(2) [11][सार्वजनिक उद्घोषणा में -

(क) हितधारकों से समापन प्रारंभ होने की तारीख को अपने दावे प्रस्तुत करने या कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए अपने दावों को अद्यतन करने की अपेक्षा की जाएगी; और

(ख) दावों को प्रस्तुत या अद्यतन करने की अंतिम तारीख दी जाएगी, जो समापन प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन तक होगी।]

(3) यह घोषणा प्रकाशित की जाएगी -

(क) कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय, यदि हो, के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में जो परिसमापक की राय में कारपोरेट ऋणी अपना वास्तविक व्यापार संव्यवहार करता है, में व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में;

---

[11] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट, यदि हो, पर; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट, यदि हो, पर।

13. प्रारंभिक रिपोर्ट

परिसमापक द्वारा समापन आरंभ होने की तारीख से पचहत्तर दिन के अंदर निर्णय अधिकारी को एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिसमें निम्नलिखित विवरण होगा

(क) कारपोरेट ऋणी की पूंजीगत संरचना;

(ख) कारपोरेट ऋणी की बही के आधार पर समापन आरंभ होने की तारीख को उसकी आस्तियों और देयताओं का आकलन:

परंतु की यदि परिसमापक के पास लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ यह विश्वास करने का कारण है कि कारपोरेट ऋणी की बही विश्वसनीय नहीं है तो वह उसके पास उपलब्ध विश्वसनीय रिकार्डों और अन्यथा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर ऐसे आकलन दे सकता है;

(ग) क्या वह कारपोरेट ऋणी या उसके व्यापार संचालन को संवर्धन, गठन या विफलता से संबंधित किसी मामले में आगे कोई पूछताछ करना चाहता है; और

(घ) समापन करने के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना जिसमें यह कार्य करने के लिए उसके द्वारा प्रस्तावित समय-सीमा जिसके अंदर वह इसे करना चाहता है और इसमें अनुमानित समापन लागत शामिल है।

14. शीघ्र विघटन

प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने के बाद किसी समय यदि परिसमापक को ऐसा लगता है कि -

(क) समापन प्रक्रिया की लागत को पूरा करने के लिए कारपोरेट ऋणी की वसूली योग्य संपत्ति अपर्याप्त है; और

(ख) कारपोरेट ऋणी के कार्यों की और अधिक जांच की आवश्यकता नहीं है;

वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कारपोरेट ऋणी के पूर्व विघटन और विघटन संबंधी ऐसे आवश्यक निर्देशों के लिए आवेदन कर सकता है।

15. प्रगति रिपोर्ट

(1) परिसमापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निम्नलिखित तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा -

(क) परिसमापक की नियुक्ति की तिमाही की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर प्रथम प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी;

(ख) उस तिमाही जिसके दौरान वह परिसमापक के रूप में कार्य कर रहा है की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर अनुवर्ती प्रगति रिपोर्ट/रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएंगी; और

परंतु कि यदि एक दिवाला व्यावसायिक समापन प्रक्रिया के दौरान परिसमापक के रूप में कार्य करना बंद कर दे तो वह कार्य बंद करने के पन्द्रह दिनों के भीतर उस तिमाही में कार्य बंद करने की तारीख तक की प्रगति रिपोर्ट दायर करेगा।

(2) एक प्रगति रिपोर्ट में उस तिमाही के लिए समापन संबंधी सभी सूचनाएं दी जाएंगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं

(क) व्यवसायिकों की नियुक्ति, नियुक्ति की अवधि और नियुक्ति की समाप्ति;

(ख) समापन की प्रगति दर्शाने वाला विवरण जिसमें निम्नलिखित शामिल है

(i) हितबद्धों की सूची का विवरण,

(ii) ऐसी किसी संपत्ति का ब्यौरा जिसकी बिक्री और वसूली होनी है,

(iii) हितबद्धों को किया गया वितरण,

(iv) हितबद्धों को न बिकी संपत्ति का वितरण और विक्रय रिपोर्ट संलग्न करना,

(ग) शुल्क या पारिश्रमिक का ब्यौरा, जिसमें निम्नलिखित शामिल है

(i) परिसमापक को देय तथा प्राप्त शुल्क और साथ ही उसके द्वारा किए गए कार्यकलापों का वर्णन,

(ii) परिसमापक द्वारा नियुक्त व्यावसायिकों को अदा की गई पारिश्रमिक और साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यकलापों का वर्णन,

(iii) परिसमापक द्वारा अर्जित अन्य व्यय, चाहे उनका भुगतानकिया गया हो या नहीं।

(घ) कारपोरेट ऋणी द्वारा या उसके विरूद्ध किसी वास्तविक मुकदमें में प्रगति;

(ङ) कोड के भाग-1 के अध्याय-3 के अनुसरण में संव्यवहार न करने के लिए आवेदन दायर करना; और उसकी प्रगति;

(च) अनुमानित समापन लागत में बदलाव।

(3) एक प्रगति रिपोर्ट में किसी परिसमापक द्वारा रखे गए लेखे संलग्न किए जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित विषय दर्शाए जाएंगे

(i) उस तिमाही के दौरान परिसमापक की प्राप्तियां और भुगतान

(ii) समापन आरंभ होने की तारीख से उसकी प्राप्तियों और भुगतानों की संचयित राशि।

(4) प्रगति रिपोर्ट के साथ एक विवरण जिसमें किसी आस्ति के विक्रय की अनुमानित वसूली के संबंध में विशेष परिवर्तनों तथा उसके आधार के बारे में बताया जाएगा।

तथापि सह विवरण किसी भी व्यक्ति को समापन प्रक्रिया के दौरान नहीं दिखाया जाएगा जब तक कि न्यायनिर्णय अधिकारी से अनुमत न हो।

स्पष्टीकरण: यदि एक दिवाला व्यावसायिक दिनांक 13 फरवरी, 2017 को परिसमापक बनता है और दिनांक 12 फरवरी, 2019 को परिसमापक के रूप में कार्य करना बंद करता है, तो वह निम्नलिखित रूप में अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

रिपोर्ट सं.	तिमाही में ली गई अवधि	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1.	13 फरवरी- 31 मार्च, 2017	15 अप्रैल, 2017
2.	अप्रैल - जून, 2017	15 जुलाई, 2017
3.	जुलाई- सितंबर, 2017	15 अक्टूबर, 2017
4.	अक्टूबर - दिसंबर, 2017	15 जनवरी, 2018
5.	जनवरी-मार्च, 2018	15 अप्रैल, 2018
6.	अप्रैल - जून, 2018	15 जुलाई, 2018
7.	जुलाई - सितंबर, 2018	15 अक्टूबर, 2018

8.	अक्टूबर - दिसंबर, 2018	15 जनवरी, 2019
9.	जनवरी - 12 फरवरी, 2019	27 फरवरी, 2019

वह अपनी प्राप्तियों और भुगतानों की लेखापरीक्षित लेखों को निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत करेगा :

लेखा परीक्षित खाता सं.	वर्ष में ली गई अवधि	प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1.	13 फरवरी- 31 मार्च, 2017	15 अप्रैल, 2017
2.	अप्रैल - मार्च, 2018	15 अप्रैल, 2018
3.	अप्रैल - 12 फरवरी, 2019	27 फरवरी, 2019

अध्याय V

दावे

16. [12][दावा प्रस्तुत करना

(1) ऐसा व्यक्ति, जो हितधारक होने का दावा करता है,सार्वजनिक उद्घोषणा में उल्लिखित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व अपना दावा प्रस्तुत करेगा या कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए अपने दावे को अद्यतन करेगा, जिसके अंतर्गत ब्याज, यदि कोई है, भी शामिल है ।

(2) कोई व्यक्ति,समापन प्रारंभ होने की तारीख को अपने ऋण यादेयों के लिए, जिसके अंतर्गत ब्याज, यदि कोई है, भी है, अपना दावा साबित करेगा ।]

17. परिचालन लेदनादों द्वारा किए गए दावे

(1) श्रमिक या कर्मचारी के अलावा कारपोरेट ऋणी का परिचालन लेनदार होने का दावा करने वाला व्यक्ति परिसमापक को अनुसूची-II के प्ररूप-ग में दावों का साक्ष्य व्यक्तिक रूप में; पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रस्तुत करेगा।

(2) इस विनियम के अधीन किसी परिचालन लेनदार को देय ऋण के अस्तित्व को निम्नलिखित के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है।

(क) इन्फार्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड यदि कोई हो; या

(ख) अन्य संगत दस्तावेज, जो ऋण को पर्याप्त रूप से स्थापित करते हैं और जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक या सभी शामिल हैं:

(i) कारपोरेट ऋणी के साथ मालों या सेवाओं की आपूर्ति के लिए संवदा;

(ii) कारपोरेट ऋणी उपलब्ध कराए गए मालों और सेवाओं के लिए भुगतान का बीजक;

(iii) किसी न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने किसी ऋण के गैर-भुगतान यदि कोई हो के परिणामस्वरूप निर्णय दिया है; और

(iv) वित्तीय लेखे।

18. वित्तीय लेनदारों द्वारा किए गए दावे

[12] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1) कारपोरेट ऋणी का वित्तीय लेनदार होने का दावा करने वाला व्यक्ति परिसमापक को अनुसूची-II के प्ररूप-घ में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावों का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(2) वित्तीय लेनदान को देय ऋण के अस्तित्व को निम्नलिखित के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है:

(क) इन्फार्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड, यदि कोई हो; या

(ख) अन्य संगत दस्तावेज जो ऋण स्थापित करने के लिए पर्याप्त हों और जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक या सभी शामिल हैं

(i) ऋण के साक्ष्य के रूप में वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित एक वित्तीय संविदा;

(ii) एक रिकार्ड जिसमें यह प्रमाणित होता है कि वित्तीय लेनदार द्वारा कारपोरेट ऋणी को प्रतिबद्ध राशि को कारपोरेट ऋणी द्वारा निकाला गया है।

(iii) वित्तीय विवरण जिसमें यह दर्शाया गया है कि ऋण का भुगतान नहीं किया गया है; और

(iv) किसी न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसमें किसी ऋण के गैर-भुगतान यदि कोई हो के परिणामस्वरूप निर्णय दिया है।

19. श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे

(1) कारपोरेट ऋणी का श्रमिक या कर्मचारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति परिसमापक को अनुसूची-II के प्ररूप-फ में दावों का साक्ष्य व्यक्तिक रूप में, पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(2) कारपोरेट ऋणी के बहुसंख्यक श्रमिकों या कर्मचारियों के देय के मामले में, एक प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुसूची-II के प्ररूप-च में उन श्रमिकों और कर्मचारियों की ओर से सभी देय राशियों के दावों का एक ही प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।

(3) श्रमिकों या कर्मचारियों को देय राशियों के अस्तित्व को निम्नलिखित के आधार पर वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से प्रमाणित किया जा सकता है -

(क) इन्फार्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड, यदि कोई हो; या

(ख) अन्य संगत दस्तावेज जो ऋण स्थापित करने के लिए पर्याप्त हों और जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय या सभी विषय शामिल हों -

(i) रोजगार का साक्ष्य अर्थात उस अवधि के रोजगार की संविदा जिसके लिए वह श्रमिक या कर्मचारी देय राशि का दावा कर रहा है;

(ii) अदत्त राशि के भुगतान की मांग का प्रमाण और गैर-भुगतान के अन्य दस्तावेज या अन्य प्रमाण; और

(iii) किसी न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने देय राशि के गैर-भुगतान के परिणामस्वरूप निर्णय दिया हो।

(4) यदि किसी श्रमिक या कर्मचारी ने किसी प्रकार का दावा नहीं किया है, तो परिसमापक कारपोरेट ऋणी के लेखा पुस्तिका से किसी श्रमिक या कर्मचारी के दावों को स्वीकार कर सकता है।

20. अन्य हितबद्धों द्वारा किए गए दावे

(1) कोई व्यक्ति जो विनियम 17(1), 18)1) या 19(1) के अतिरिक्त हितबद्ध होने का दावा करता है तो अपने दावे का साक्ष्य परिपरिसमापक को प्ररूप-छ में व्यक्तिगत रूप से, डाक के द्वारा या इलेक्ट्रानिक तरीके से में प्रस्तुत करेगा।

(2) हितबद्ध के दावे के साक्ष्य के अस्तित्व को निम्न के आधार पर माना जा सकता है:

(क) इन्फार्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड, यदि कोई हो; या

(ख) अन्य संगत दस्तावेज जो ऋण स्थापित करने के लिए पर्याप्त हों और जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय या सभी विषय शामिल हों -

(i) अभुक्त राशि की मांग करने का पत्र (डिमांड नोटिस) का दस्तावेजी साक्ष्य जिससे यह ज्ञात होता हो कि दावे का भुगतान नहीं किया गया है तथा शपथ पत्र जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य तथा बैंक खाते को सही, वैध तथा वास्तविक बताया गया हो

(ii) लेनदार की शेयरधारिता का दास्तावेजी या इलेक्ट्रानिक साक्ष्य; और

(iii) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का आदेश जिसने किसी दावे के गैर-भुगतान यदि कोई हो, के कारण निर्णय दिया है।

21. प्रतिभूति हित प्रमाणित करना

किसी प्रतिभूत लेनदार द्वारा किसी प्रतिभूत हित के अस्तित्व को निम्नलिखित आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है।

(क) इन्फार्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड, यदि कोई हो;

(ख) कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रभार के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र; या

(ग) भारतीय प्रतिभूतिकरण आस्ति, पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केन्द्रीय रजिस्ट्री के प्रभार रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य।

[13][**21क. प्रतिभूति हित की उपधारणा**

(1) प्रतिभूत लेनदार परिसमापक को समापन संपदा में, यथास्थिति, अपने प्रतिभूति हित का त्याग करने या अपने प्रतिभूति हित को वसूल करने संबंधी अपना विनिश्चय अनुसूचीII के प्ररूप ग या प्ररूप घ में सूचित करेगा:

परन्तु जहां कोई प्रतिभूत लेनदार, समापन प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपना विनिश्चय सूचित नहीं करता है वहां प्रतिभूति हित के अंतर्गत आने वाली आस्तियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वेसमापन संपदा का भाग हैं ।

[14][(2) जहां कोई प्रतिभूत लेनदार अपने प्रतिभूति हित की वसूली करने की कार्यवाही करता है, वहां वह-

(क) परिसमापक को समापन प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन संदेय रकम के मद्धे उतनी रकम का संदाय करेगा जितनी उसने तब सांझा की होती यदि उसने प्रतिभूति हित का परित्याग कर दिया होता; और

---

[13] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

[14] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.053, दिनांकित 06-01-2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) परिसमापक को समापन प्रारंभ होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर अपने स्वीकृत दावों की रकम के मुकाबले आस्ति के वसूल किए गए मूल्य के उस आधिक्य का, जो प्रतिभूति हित के अधीन है, संदाय करेगा:

परन्तु जहां इस उप-विनियम के अधीन संदेय रकम उस तारीख तक, जब इस उप-विनियम के अधीन रकम संदेय हो, निश्चित नहीं है वहां प्रतिभूत लेनदार परिसमापक द्वारा यथा-प्राक्कलित रकम का संदाय करेगा:

परन्तु यह और कि इस उप-विनियम के अधीन संदेय रकम और प्रथम परन्तुक के अधीन संदत्त की गई रकम के बीच किसी अंतर को, यथास्थिति, प्रतिभूत लेनदार या परिसमापक द्वारा इस उप-विनियम के अधीन संदेय रकम के निश्चित हो जाने और परिसमापक द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर, यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा ।

(3) जहां कोई प्रतिभूत लेनदार उप-विनियम (2) का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां वह आस्ति, जो प्रतिभूति हित के अधीन है, समापन संपदा का भाग बन जाएंगी ।]

22. विनिमय बिल और प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत करना

यदि कोई व्यक्ति किसी विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र या अन्य परक्राम्य लिखित या प्रतिभूति संबंधी ऋण जिसके लिए कारपोरेट ऋणी उत्तरदायी है, को प्रमाणित करना चाहता है, तो ऐसे विनिमय बिल, नोट, लिखित या प्रतिभूति को दावे की स्वीकृति के पूर्व परिसमापक के समक्ष पेश किया जाएगा।

23. दावों को सिद्ध करना

परिसमापक दावेदार से दसके दावों को संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सिद्ध करने के लिए ऐसे अन्य साक्ष्य या स्पष्टीकरण जैसा वह उचित समझे, की मांग कर सकता है।

24. साक्ष्यों की लागत

(1) एक दावेदार अपने दावों को प्रमाणित करने की लागत वहन करेगा।

(2) किसी दावे के सत्यापन या निधारण के लिए परिसमापक द्वारा किए गए लागतों को समापन लागत का भाग होगा:

परंतु कि यदि काई दावा या दावे का अंश गलत पाया गया, तो परिसमापक उस दावेदार से दावों के सत्यापन या निर्धारण के लिए आई लागत वसूलने का प्रयास करेगा और बोर्ड को दावेदार के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

25. दावों की मात्रा का निर्धारण

यदि किसी आकस्मिकता या अन्य किसी कारणवश किसी दावेदार की दावाकृत राशि सटीक नहीं है, तो परिसमापक अपने पास उपलब्ध सूचना के आधार पर दावों की राशि का सर्वोत्तम अनुमान लगाएगा।

26. विदेशी मुद्रा के ऋण

विदेशी मुद्रा में किए गए दावों को समापन आरंभ करने की तारीख से सरकारी विनिमय दर से भारतीय मुद्रा में मूल्यांकित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - 'सरकारी विनिमय दर' भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित संदर्भ दर है या उसे संदर्भ दरों से उत्पन्न हुआ है।

27. आवधिक भुगतान

किराया, लाभ या आवधिक प्रकृति के अन्य भुगतानों के मामले में, एक व्यक्ति केवल समापन आरंभ होने की तारीख तक देय या अदत्त राशि का दावा कर सकता है।

28. भविष्य में देय ऋण

(1) एक व्यक्ति जिसकी समापन आरंभ होने की तारीख तक अदायगी देय नहीं है, अपने दावों का प्रमाणित कर सकता है।

(2) उप विनियम (1) के तहत दावों की राशि को निम्नलिखित फारमूला द्वारा कम किया जा सकता है जिससे समापन आरंभ होने की तारीख तक दावों की राशि निकाली जा सकती है। स्वीकृत दावा $=x/(1+r)^n$

यदि

(क) "x" स्वीकृत दावे का मूल्य है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक में प्रकाशित वितरण आरंभ होनेकी तारीख तक "n" की परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति की अंतिम प्राप्ति दर "r" है; और

(ग) "n" वह अवधि है जो वितरण आरंभ होने की तारीख को शुरू होती है और उस तारीख को समाप्त होती है जब ऋण अन्यथा देय हो जाएगा और जिसे दशमलव रूप से वर्षों और महीनों में व्यक्त किया गया है।

29. पारस्परिक ऋण और सेट ऑफ

यदि कारपोरेट ऋणी और अन्य पक्षों के मध्य पारस्परिक व्यवहार हो, वहां एक पक्ष की कुल देय राशियों को दूसरे पक्ष की कुल देय राशियों पर स्थापित किया जा सकता है जिससे कारपोरेट ऋणी या अन्य पक्ष को देय निवल राशि का पता लगाया जा सके।

स्पष्टीकरणः कारपोरेट ऋणी को x की ओर से 100/- रू. बकाया है। कारपोरेट ऋणी की ओर से x को 70/-रू. बकाया है। अत: सेट आफ के बाद x द्वारा कारपोरेट ऋणी को केवल 30/रू. देय है।

30. दावों का सत्यापन

इन दावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से तीस दिनों के भीतर परिसमापक प्रस्तुत दावों का सत्यापन करेगा और वह दावों को संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से या जैसा भी मामला हो स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है।

[15]**30क. लेनदारों को देय ऋण का अंतरण**

(1) कोई लेनदार, समापन प्रक्रिया के दौरान उसे देय ऋण का किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशन या अंतरण, ऐसे समनुदेशन या अंतरण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार कर सकेगा ।

(2) जहां कोई लेनदार उसे देय ऋण का उप-विनियम (1) के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशन या अंतरण करता है वहां दोनों पक्षकार परिसमापक को ऐसे समनुदेशन या अंतरण के निबंधन और समनुदेशिती या अंतरिती की पहचान उपलब्ध कराएंगे ।

[15] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.067, दिनांकित 13-11-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

(3) परिसमापक, हितधारकों की सूची में विनियम 31 के उपबंधों के अनुसार उपांतरण करेगा ।]

31. हितबद्धों की सूची

(1) परिसमापक इन विनियमों के अधीन प्रस्तुत और स्वीकृत दावों के प्रमाण के आधार पर हितबद्धों की श्रेणी अनुसार सूची तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हो

(क) स्वीकृत ऋणों की राशि, यदि लागू हो,

(ख) प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों की सीमा, यदि लागू हो।

(ग) हितबद्धों का ब्यौरा; और

(घ) आंशिक रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत प्रमाण और पूर्ण रूप से अस्वीकृत प्रमाण

[16][(2) परिसमापक, दावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास हितधारकों की सूची फाइल करेगा ।]

(3) परिसमापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उनके समक्ष दायर हितबद्धों की सूची में किसी भी प्रविष्टि के संशोधन का आवेदन कर सकता है, यदि, उसे इस संशोधन के लिए अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो और परिसमापक उस प्रविष्टि का संशोधन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निदेशानुसार करेगा।

(4) परिसमापक धारा 42 के तहत की गई अपील का निस्तारण करते हुए न्यायनिर्णायक के निदेशानुसार दायर हितबद्धो की सूची में प्रविष्टि में संशोधन करेगा।

(5) समय-समय पर यथा-संशोधित हितबद्धों की सूची को -

(क) दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा जांच हेतु उपलब्ध कराना;

(ख) सदस्यों, भागीदारों, निदेशकों और कारपोरेट ऋणी के गारंटीदाताओं द्वारा जांच हेतु उपलब्ध करवाना;

(ग) कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट यदि कोई हो पर दिखाया जाना होगा।

[17][(घ) प्रसार के लिए बोर्ड के इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर, उसकी बैवसाइट पर फाइल की जाएगी:

परन्तु यह खंड भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् चालू और प्रारंभ होने वाली प्रत्येक समापन प्रक्रिया को लागू होगा ।]

[18][**31क हितधारक परामर्श समिति**

(1) परिसमापक,समापन प्रारंभ होने से साठ दिन के भीतर, विनियम 32 के अधीन विक्रय से संबंधित विषयों में उसे सलाह देने के लिए, विनियम 31 के अधीन तैयार की गई हितधारकों की सूची पर आधारित एक परामर्श समिति का गठन करेगा ।

---

[16] अधिसूचना फा. सं.आई.बी.बी.आई/2020-21/जी.एन/आर.ई.जी.069, दिनांकित 04-03-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[17] अधिसूचना फा. सं.आई.बी.बी.आई/2020-21/जी.एन/आर.ई.जी.069, दिनांकित 04-03-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

[18] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन परामर्श समिति की संरचना वैसी होगी, जैसी नीचे सारणी में दर्शित की गई है:

सारणी

हितधारकों का वर्ग	**वर्णन**	**प्रतिनिधियों की संख्या**
(1)	(2)	(3)
ऐसे प्रतिभूत वित्तीय लेनदार, जिन्होंने धारा 52 के अधीन अपने प्रतिभूति हितों का त्याग किया है	जहां समापन प्रक्रिया के दौरान स्वीकार किए गए ऐसे लेनदारों के दावे समापन मूल्य के 50% से कम हैं	अधिकतम 2 के अधीन रहते हुए,श्रेणी में लेनदारों की संख्या
	जहां समापन प्रक्रिया के दौरान स्वीकार किए गए ऐसे लेनदारों के दावे कम से कम समापन मूल्य के 50% तक हैं	अधिकतम 4 के अधीन रहते हुए, श्रेणी में लेनदारों की संख्या
अप्रतिभूत वित्तीय लेनदार	जहां समापन प्रक्रिया के दौरान स्वीकार किए गए ऐसे लेनदारों के दावे समापन मूल्य के 25% से कम हैं	अधिकतम 1 के अधीन रहते हुए,श्रेणी में लेनदारों की संख्या
	जहां समापन प्रक्रिया के दौरान स्वीकार किए गए ऐसे लेनदारों के दावे कम से कम समापन मूल्य के 25% तक हैं	अधिकतम 2 के अधीन रहते हुए,श्रेणी में लेनदारों की संख्या
कर्मकार और कर्मचारी	1	1
सरकार	1	1
कर्मकारों, कर्मचारियों और सरकार से भिन्न प्रक्रियागत लेनदार	जहां समापन प्रक्रिया के दौरान स्वीकार किए गए ऐसे लेनदारों के दावे समापन मूल्य के 25% से कम हैं	अधिकतम 1 के अधीन रहते हुए,श्रेणी में लेनदारों की संख्या
	जहां समापन प्रक्रिया के दौरान स्वीकार किए गए ऐसे लेनदारों के दावे कम से कम समापन मूल्य के 25% तक हैं	अधिकतम 2 के अधीन रहते हुए,श्रेणी में लेनदारों की संख्या
हितधारक या भागीदार, यदि कोई हो		1

(3)परिसमापक, प्रत्येक वर्ग के हितधारकों को परामर्श समिति में समाविष्ट करने के लिए अपने प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करने हेतु सुकर बनाएगा ।

(4) यदि किसी वर्ग के हितधारक अपने प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करने में असफल हो जाते हैं तो उस वर्ग में दावे की उच्चतर रकम वाले अपेक्षित हितधारकों को परामर्श समिति में शामिल कर लिया जाएगा ।

(5) परामर्श समिति के प्रतिनिधियों को, संहिता और इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वे समस्त सुसंगत अभिलेख और जानकारी सुलभ होगी, जो उप-विनियम (1) के अधीन परिसमापक को सलाह देने के लिए अपेक्षित हो ।

(6) परिसमापक, जब वह आवश्यक समझे, परामर्श समिति की बैठक बुलाएगा और जब परामर्श समिति के कम से कम इक्कावन प्रतिशत प्रतिनिधियों की ओर से अनुरोध प्राप्त होता है तब परामर्श समिति की बैठक बुलाएगा ।

(7) परिसमापक परामर्श समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और बैठक में हुए विचार-विमर्श को अभिलिखित करेगा ।

(8) परिसमापक, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 39ग के उप-विनियम (1) के अधीन लेनदारों की समिति की सिफारिश को परामर्श समिति के समक्ष उसकी जानकारी के लिए रखेगा ।

(9) परामर्श समिति, परिसमापक को, परामर्श समिति के उपस्थित एवं मतदान करने वाले कम से कम छियासठ प्रतिशत प्रतिनिधियों के मत द्वारा सलाह देगी ।

(10) परामर्श समिति की सलाह परिसमापक पर बाध्यकर नहीं होगी:

परन्तु जहां परिसमापक, परामर्श समिति द्वारा दी गई सलाह से अलग कोई विनिश्चय करता है तो वह उसके लिए कारणों को लिखित में लेखबद्ध करेगा।]

अध्याय-VI

आस्तियों की वसूली

32. [19][**आस्तियां का विक्रय, आदि**

परिसमापक -

(क) एकल आधार पर आस्ति का;

(ख) किसी मन्दी(स्लम्प)विक्रय में आस्तियों का;

(ग) संयुक्त रूप से आस्तियों के किसी समूह का;

(घ) पार्सलों में की आस्तियों का;

(ङ) किसी चालू समुत्थान के रूप में कारपोरेट ऋणी का; या

(च) किसी चालू समुत्थान के रूप में कारपोरेट ऋणी के कारबार का;

---

[19] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.037, दिनांकित 22-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

विक्रय कर सकेगा:

परन्तु जहां खंड (क), खंड (ग) या खंड (घ) के अंतर्गत आने वाली आस्ति प्रतिभूति हित के अध्यधीन हैं वहां परिसमापक ऐसी आस्तियों का विक्रय तब तक नहीं करेगा जब तक कि प्रतिभूत लेनदारों ने उनमें अपने प्रतिभूति हित का समापन संपदा में त्याग न कर दिया हो।]

[20][**32क. चालू समुत्थान के रूप में विक्रय**

(1) जहां लेनदारों की समिति ने विनियम 32 के खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन विक्रय की सिफारिश की है या जहां परिसमापक की यह राय है कि विनियम 32 के खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन विक्रय से कारपोरेट ऋणी को अधिकतम मूल्य प्राप्त होगा, वहां वह प्रथमतः उक्त खंडों के अधीन विक्रय करने का प्रयत्न करेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विक्रय के प्रयोजनार्थ, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियो के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 39ग के उप-विनियम (2) के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा यथा-परिलक्षित कारपोरेट ऋणी की आस्तियों और दायित्वों के समूह का विक्रय एक चालू समुत्थान के रूप में किया जाएगा ।

(3) जहां लेनदारों की समिति ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 39ग के उप-विनियम (2) के अधीन आस्तियों और दायित्वों को परिलक्षित नहीं किया है वहां परिसमापक, परामर्श समिति से परामर्श करके उन आस्तियों और दायित्वों को परिलक्षित और सामूहित करेगा जिनका विक्रय एक चालू समुत्थान के रूप में किया जाना है ।

(4) यदि परिसमापक, समापन प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, विनियम 32 के खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन कारपोरेट ऋणी या उसके कारबार का विक्रय करने में असमर्थ होता है तो वह कारपोरेट ऋणी की आस्तियों का विक्रय विनियम 32 के खंड (क) से खंड (घ) के अधीन विक्रय करने की कार्यवाहीकरेगा ।]

33. विक्रय का प्रकार

(1) परिसमापक कारपोरेट ऋणी की आस्तियों को अनुसूची-1 में निर्दिष्ट रीति के अनुसार नीलामी के माध्यम से विक्रय करेगा।

(2) परिसमापक कारपोरेट ऋणी की आस्तियों को अनुसूची-I में निर्दिष्ट रीति के अनुसार निजी बिक्री के माध्यम से विक्रय करेगा। यदि

(क) विनश्वर आस्ति हो।

(ख) यदि आस्ति तुरंत नहीं बेची जाती है तो उसके मूल्य में महत्वपूर्ण रूप से कमी आने की संभावना होती है;

(ग) आस्ति किसी असफल निलामी की आरक्षित राशि से अधिक मूल्य पर बेची जाती है; या

(घ) ऐसी बिक्री के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की पूर्व अनुमति ली जा चुकी है;

---

[20] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

परंतु कि परिसमापक आस्तियों को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की पूर्व अनुमति बिना निजी विक्रय के तरीके से नहीं बेचेगा -

(क) कारपोरेट ऋणी के किसी संबंधित पक्ष को;

(ख) उसके संबंधित पक्ष को; अथवा

(ग) उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यावसायिक को।

(3) परिसमापक किसी आस्ति बिक्री प्रारंभ नहीं करेगा यदि उसका मानना है कि क्रेताओं, या कारपोरेट ऋणी के संबंधित पक्षों और क्रेताओं, या लेनदारों और क्रेता के बीच कोई दुरभि संधि है, और इस संबंध में दुरभि संधि करने वाले पक्षों के खिलाफ एक उचित आदेश मांगते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को

34. आस्ति ज्ञापन

(1) धारा 36 के तहत परिसंपत्ति के परिसमापन पर परिसमापक ऐसे परिसमापन के प्रारंभ की तारीख से पचहतर दिनों के भीतर इस विनियमन के अनुसरण में एक आस्ति ज्ञापन तैयार करेगा।

(2) आस्ति ज्ञापन में उन आस्तियों के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिनको बिक्री के माध्यम से वसूला जाना है :

(क) विनियमन 35 के अनुसरण में मूल्य निर्धारित आस्ति का मूल्य;

[21][(ख) विनियम 35 के अनुसार मूल्यांकित, विनियम 32 के खंड (ख) से खंड (च) के अधीन आस्तियों या कारबार का मूल्य, यदि उनका इन खंडों के अधीन विक्रय किया जाना आशयित है;”।]

(ग) विनियमन 32 के अनुसरण में बिक्री का उद्दिष्ट तरीका और बिक्री के कारण;

(घ) विनियमन 33 के अनुसरण में बिक्री का उद्दिष्ट माध्यम और बिक्री के कारण

(ङ) बिक्री से वसूल होने वाली अपेक्षित राशि; और

(च) अन्य कोई सूचना जो आस्ति की बिक्री के लिए प्रासंगिक हो।

(3) आस्ति ज्ञापन में उपविनियमन (2) में उल्लिखित के अतिरिक्त प्रत्येक आस्ति के संबंध में निम्नलिखित विवरण होगा :

(क) आस्ति का मूल्य;

(ख) वसूली का उद्दिष्ट तरीका एवं माध्यम, और उसके कारण;

(ग) वसूली की अपेक्षित राशि; और

(घ) अन्य कोई सूचना जो आस्ति की वसूली के लिए प्रासंगिक हो।

(4) परिसमापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्राथमिक रिपोर्ट के साथ आस्ति ज्ञापन दायर करेगा।

(5) आस्ति ज्ञापन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुमति के बिना समापन के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा देखा नहीं जाएगा।

35. [22][**उन आस्तियों और कारबार का मूल्यांकन, जिनका विक्रय किया जाना आशयित है** -

---

[21] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.037, दिनांकित 22-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

[22] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.037, दिनांकित 22-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1) जहां मूल्यांकन, यथास्थिति, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम 2016 के विनियम 35 या भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 34 के अधीन कराया गया है, वहां परिसमापक विनियमों के तहत मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए ऐसे मूल्यांकन के आकलनों के औसत पर विचार करेगा ।

(2) [23][उप-विनियम (1) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में या जहां परिसमापक की यह राय है कि परिस्थितियों के अधीन नए सिरे से मूल्यांकन आवश्यक है, वहां वह समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से सात दिन के भीतर], विनियम 32 के खंड (क) से खंड (च) के तहत परिसंपत्तियों या व्यवसायों के वसूली-योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त करेगा :

परन्तु निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त नहीं किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) परिसमापक का कोई नातेदार;

(ख) कारपोरेट ऋणी का कोई संबद्ध पक्षकार;

(ग) दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व पांच वर्षों के दौरान किसी समय कारपोरेट ऋणी का कोई लेखापरीक्षक; या

(घ) ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का कोई भागीदार या निदेशक, जिसका परिसमापक एक भागीदार या निदेशक है ।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन नियुक्त किए गए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक कारपोरेट ऋणी की आस्तियों का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात्, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसार यथास्थिति संगणित आस्तियों या कारबार के वसूली-योग्य मूल्य के अपने-अपने आकलन परिसमापक को पृथक्-पृथक् प्रस्तुत करेंगे ।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन प्राप्त मूल्यांककों के दो आकलनों के औसत को आस्तियों या कारबार का मूल्य माना जाएगा ।

36. आस्ति बिक्री रिपोर्ट

(1) किसी आस्ति की बिक्री पर परिसमापक आस्ति के संबंध में एक आस्ति बिक्री रिपोर्ट तैयार करेगा, जो प्रगति रिपोर्टों के साथ संलग्न होगी तथा जिसमें निम्नलिखित होगा:

(क) वसूली का मूल्य;

(ख) वसूली की लागत, यदि कोई हो तो;

(ग) बिक्री का तरीका और माध्यम;

(घ) यदि वसूली का मूल्य आस्ति ज्ञापन में दिए गए मूल्य से कम हो तो उसके कारण;

(ङ) वह व्यक्ति जिसे आस्ति बेची गई है; और

(च) बिक्री का अन्य कोई विवरण।

37. प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत हित की प्राप्ति

---

[23] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1) कोई प्रतिभूत लेनदार, जो धारा 52 के तहत अपने प्रतिभूत हित की प्राप्ति चाहता है, परिसमापक को उस मूल्य की सूचना देगा जिस पर वह अपनी प्रतिभूत आस्ति प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है।

(2) परिसमापक प्रतिभूत लेनदार को उपविनियमन (1) के तहत पावती के 21 दिन के भीतर सूचित करेगा यदि कोई क्रेता उपविनियमन 1 के तहत सूचना की तारीख से 30 की समाप्ति से पहले उपविनियमन 1 के बताए गए मूल्य से अधिक मूल्य पर प्रतिभूत आस्ति खरीदना चाहता है।

(3) यदि परिसमापक प्रतिभूत लेनदार को उपविनियमन (2) के तहत आस्ति को खरीदने का इच्छुक किसी क्रेता के बारे में सूचित करता है तो प्रतिभूत लेनदार ऐसे व्यक्ति को आस्ति बेचेगा।।

(4) यदि परिसमापक उपविनियमन (2) के अनुसरण में प्रतिभूत लेनदार को सूचित नहीं करता है या उपविनियमन (2) के अनुसरण में क्रेता प्रतिभूत आस्ति को नहीं खरीदता है तो प्रतिभूत लेनदार उचित तरीके से प्रतिभूत आस्ति की वसूली कर सकता है परंतु यह कम से कम उपविनियम(1) में सूचित मूल्य के बराबर हो।

(5) यदि प्रतिभूत आस्ति उपविनियमन (3) के तहत प्राप्त की जाती है तो प्रतिभूत लेनदार उपविनियमन (2) के तहत क्रेता की पहचान करने के लिए उपगत लागत] वहन करेगा।

(6) यदि प्रतिभूत आस्ति उपविनियमन (4) के तहत प्राप्त की जाती है तो परिसमापक उप विनियम (2) के तहत [24][क्रेता की पहचान करने के लिए उपगत लागत] वहन करेगा।

(7) इन विनियमन के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि प्रतिभूत लेनदार वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित को प्रभावी करने का अधिनियम, 2002 (2002 का 54) या बकाया वसूली और शोधन अक्षमता विनियम, 1993 (1993 का 51) के तहत अपने प्रतिभूत हित का प्रवर्तन करता है।

[25][(8) कोई प्रतिभूत लेनदार किसी ऐसी आस्ति का, जो प्रतिभूति हित के अधीन है, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो संहिता के अधीन कारपोरेट ऋणी के दिवाला समाधान के लिए कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने का पात्र नहीं है, विक्रय या अंतरण नहीं करेगा ।]

[26][**37क. ऐसी आस्तियों का समनुदेशन, जो आसानी से वसूलीयोग्य नहीं है ।**

(1) परिसमापक, ऐसी किसी आस्ति को, जो आसानी से वसूलीयोग्य नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कारपोरेट ऋणी के दिवाला समाधान के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने का पात्र है, विनियम 31क के अनुसार हितधारकों की परामर्श समिति के परामर्श से एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिफल के लिएसमनुदेशित या अंतरित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण - इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए “आसानी से वसूलीयोग्य नहीं आस्ति” से समापन संपदा में सम्मिलित ऐसी कोई आस्ति अभिप्रेत है, जिसका विक्रय उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से नहीं किया जा सका था और इसके अंतर्गत आकस्मिक या विवादित आस्तियां और संहिता की धारा 43 से 51 और धारा 66 में निर्दिष्ट अधिमानी, न्यूनमूल्यांकित, उद्दापक प्रत्यय और कपटपूर्ण संव्यवहारों से संबंधितकार्यवाहियों में अंतर्निहित आस्तियां भी हैं।]

---

[24] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.062, दिनांकित 05-08-2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

[25] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.053, दिनांकित 06-01-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

[26] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.067, दिनांकित 13-11-2020 द्वारा अंतःस्थापित।

38. बेची नहीं गई आस्तियों का वितरण

(1) परिसमापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुमति से ऐसे आस्ति को हितधारकों में वितरित कर सकता है जो अपनी विशेष प्रकृति या अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण [27][विक्रय, समनुदेशीत या अंतरित नहीं की जा सकी] है।

(2) उपविनियमन (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुमति मांगने के लिए आवेदन में निम्नलिखित होगा:

(क) आस्ति की पहचान,

(ख) आस्ति का मूल्य,

(ग) आस्ति को बेचने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण, यदि कोई हो तो, और

(घ) ऐसे वितरण के कारण।

39. बकाया रुपयों की वसूली

परिपरिसमापक हितधारकों के मूल्यों के अधिकतम प्राप्ति के लिए एक समयबद्ध तरीके से कारपोरेट ऋणी की सभी आस्तियों और बकाया की वसूली और प्राप्ति करने का प्रयत्न करेगा।

40. परिसमापक को अनाहूत पूंजी और अभुक्त पूंजी के वितरण की प्राप्ति

(1) परिसमापक कारपोरेट ऋणी के किसी अंशदाता से बकाया किसी भी राशि की वसूली करेगा।

(2) कंपनी की अनाहूत पूंजी पर किसी शुल्क या ऋण भार होने के बावजूद भी परिसमापक कंपनी की अनाहूत पूंजी को मांगने तथा वसूलने और समापन से पहले मांगे गए बकाया को एकत्रित करने का पात्र होगा। ऐसा वह अंशदाता को नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने का एक नोटिस देकर करेगा, किंतु इस तरह प्राप्त सभी धन को धारित के किसी ऐसे शुल्क या ऋणभार के अधिकारों के अधीन रखेगा।

(3) किसी अंशदाता को कोई वितरण नहीं किया जाएगा जबतक कि वह कारपोरेट ऋणी के वैधानिक दस्तावेजों में अपेक्षितनुसार अनाहूत या असंगत पूंजी का अंशदान नहीं करता है।

स्पष्टीकरण : इस अध्याय और अनुसूची 1 के उद्देश्य के लिए, 'आस्तियों' में एक आस्ति, सभी आस्तियां, आस्तियों का एक समूह या आंशिक रूप से [28][कारबार], जैसा भी मामला हो, जिन्हें बेचा जाना है, शामिल होंगे।

अध्याय VII

समापन से आमदनी तथा आमदनी का वितरण

41. पूरे रुपयों का भुगतान किसी अनुसूचित बैंक के बैंक खाते में किया जाए

(1) परिसमापक 'परिसमापन में' अनुबंधों का अनुसरण करते हुए कारपोरेट ऋणी के पूरे रुपयों की प्राप्ति के लिए किसी अनुसूचित बैंक में कारपोरेट ऋणी के नाम से खाता खोलेगा।

(2) परिसमापक उपविनियमन (1) के तहत खोले गए बैंक खाते में समस्त व्यय के जमा का भुगतान जिसमें कारपोरेट ऋणियों के परिसमापक के रूप में उसके द्वारा प्राप्त चैक और डिमांड ड्राफ्ट भी

---

[27] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.067, दिनांकित 13-11-2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

[28] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.037, दिनांकित 22-10-2018 7द्वारा अंतःस्थापित।

सम्मिलित होंगे और प्रत्येक दिन की वसूलियां अगले कार्य दिवस से अधिक विलम्ब नहीं करते हुए बिना किसी कटौती के बैंक खाते में जमा कराई जाएंगी।

(3) परिसमापक समापन लागतें और अन्य किसी राशि का भुगतान करने के लिए एक लाख रुपए या न्याय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिए गए अनुसार इससे अधिक राशि की नकदी रख सकता है।

(4) परिसमापक द्वारा 5 हजार रुपए से अधिक के सभी भुगतान चैक आहरित करके या बैंक खाते के निमित ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन द्वारा किए जाएंगे।

42. वितरण

(1) संहिता की धारा 53 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापक हितधारकों की सूची को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को दायर किए बिना वितरण प्रारंभ नहीं करेगा।

(2) परिसमापक प्राप्तियों के आमदनी का वितरण राशि प्राप्ति से [29][नब्बे दिन] के भीतर हितधारकों को करेगा।

(3) ऐसे वितरण से पहले दिवाला संकल्प प्रक्रिया लागतों, यदि कोई है तो, और समापन लागतों की कटौती की जाएगी।

43. रुपए लौटाना

कोई हितधारक वितरण में उसके द्वारा प्राप्त उन रुपयों को लौटाएगा जिनके लिए वितरण के समय वह पात्र नहीं था, या बाद में भी पात्र नहीं है।

44. समापन की समाप्ति

[30][(1) परिसमापक, संहिता के भाग 2 के अध्याय 3 के अधीन संव्यवहारों के परिवर्जन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष किसी आवेदन या उसकी किसी कार्रवाई के लंबित रहते हुए भी, समापन प्रारंभ होने के तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कारपोरेट ऋणी का समापन करेगा:

परन्तु जहां विनियम 32क के उप-विनियम (1) के अधीन विक्रय का प्रयत्न किया जाता है वहां समापन प्रक्रिया नब्बे दिनतक की अतिरिक्त अवधि ले सकेगी;]

(2) यदि परिसमापक [31][एक वर्ष] के भीतर कारपोरेट ऋणी को समाप्त करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसा समापन को जारी रखने के लिए एक आवेदन करेगा और समापन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किए जाने के कारण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

45. समाप्ति से पूर्व अंतिम रिपोर्ट

(1) जब कारपोरेट ऋणी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है तो परिसमापक यह दिखाते हुए एक समापन लेखा तैयार करेगा कि समापन किस तरह किया गया और कारपोरेट ऋणी की आस्तियों को किस तरह समाप्त किया गया।

---

[29] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[30] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[31] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) यदि कारपोरेट ऋणी को विघटित करने की वास्तविक लागत प्राथमिक रिपोर्ट में दिखाई अनुमानित लागत से अधिक होती है तो परिसमापक उसे कारण सहित उल्लेखित करेगा।

(3) [32][परिसमापक, अंतिम रिपोर्ट और प्ररूप ज में अनुपालन प्रमाणपत्र के साथ-

(क) जहां कारपोरेट ऋणी का विक्रय एक चालू समुत्थान के रूप किया जाता है वहां कारपोरेट ऋणी की समापन प्रक्रिया बन्द करने; या

(ख) खंड (क) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में, कारपोरेट ऋणी के विघटन, के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा ।]

[33][**46. कारपोरेट समापन खाता**

(1) बोर्ड भारत के लोक खाते में एक खाता रखेगा और उसका प्रचालन करेगा जिसे कारपोरेट समापन खाता कहा जाएगा:

परन्तु जब तक कारपोरेट समापन खाते का प्रचालन भारत के लोक खाते के भागस्वरूप नहीं किया जाता है, तब तक बोर्ड इस विनियम के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् बैंक खाता खोलेगा ।

(2) परिसमापक, इससे पूर्व कि वह विनियम 45 के उप-विनियम (3) के अधीन कोई आवेदन प्रस्तुत करे,किसी समापन कार्यवाही में अदावाकृत लाभांशों, यदि कोई है, और अवितरित आगमों, यदि कोई हैं, की रकम,जमा करने की तारीख तकउस पर अर्जित किसी आय सहित, कारपोरेट समापन खाते में जमा करेगा ।

(3) ऐसा परिसमापक, जो भारतीय दिवाला और शोधनअक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख को किसी समापन कार्यवाही में अदावाकृत लाभांशोंया अवितरित आगमों की कोई रकम धारित करता है, उसे ऐसे प्रारंभ की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उस पर जमा किए जाने की तारीख तक अर्जित आय सहित जमा करेगा ।

(4) ऐसा परिसमापक, जो इस विनियम के अधीन कोई रकम कारपोरेट समापन खाते में जमा करने में असफल रहता है, उसेजमा करने की नियत तारीख से जमा करने की तारीख तक उस पर बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित जमा करेगा ।

(5) परिसमापक, उस प्राधिकारी को, जिसके पास कारपोरेट ऋणी रजिस्ट्रीकृत है और बोर्ड को इस विनियम के अधीन कारपोरेट समापन खाते में रकम जमा करने का साक्ष्य और कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई रकम की प्रकृति और अदावाकृत लाभांश या अवितरितआगमप्राप्त करने के हकदार हितधारकों के नाम और उनके अंतिम ज्ञात पतेउपवर्णित करते हुएप्ररूप- झ में एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(6) परिसमापक, इस विनियम के अधीन कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई किसी रकम के लिए बोर्ड से रसीद लेने का हकदार होगा ।

[32] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[33] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.053, दिनांकित 06-01-2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(7) ऐसा हितधारक, जो कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है, रकम की निकासी के लिए आदेश हेतु बोर्ड को प्ररूप ञ में आवेदन कर सकेगा:

परन्तुयदि हितधारक से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है तो वह बोर्ड को संतुष्ट करने के लिए कि वह इस प्रकार हकदार है, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

(8) बोर्ड, यदि संतुष्ट हो जाता है किहितधारक या उप-विनियम (7) के अधीननिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्तिकारपोरेट समापन खाते में से किसी रकम की निकासी का हकदार है तो वह उसहितधारक या उस अन्य व्यक्ति के पक्ष में उसके लिए आदेश कर सकेगा ।

(9) बोर्ड, इस विनियम के अधीन कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई रकम और उसमें से निकाली गई रकम की कारपोरेट ऋणी-वार लेखा-बही रखेगा ।

(10) बोर्ड, कारपोरेट समापन खाते के अभिरक्षक के रूप में बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के स्तर के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करेगा और उसके अनुमोदन के बिना किसी भी आगम की निकासी नहीं की जाएगी ।

(11) बोर्ड, कारपोरेट समापन खाते का समुचित लेखा रखेगा और उसकी प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा कराएगा ।

(12) उप-विनियम (11) में निर्दिष्ट कारपोरेट समापन खाते के लेखा विवरण सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट शासी बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी और उसे केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।

(13) इस विनियम के अनुसरण में कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई ऐसी कोई रकम, जो कारपोरेट ऋणी के विघटन के आदेश की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक अदावाकृत या अवितरित बनी रहती है, और कारपोरेट समापन खाते में प्राप्त या अर्जित आय या ब्याज की कोई रकम भारत की संचित निधि में अंतरित कर दी जाएगी ।]

47. [34][समापन प्रक्रिया के लिए आदर्श समय-सीमा

निम्नलिखित सारणी,समापन प्रारंभ होने की तारीख से किसी कारपोरेट ऋणी की समापन प्रक्रिया की यह मानकर आदर्श समय-सीमा प्रस्तुत करती है कि इस प्रक्रिया में कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 230 के अधीन समझौता या ठहराव या विनियम 32क के अधीन विक्रय शामिल नहीं है:

समापन प्रक्रिया के लिए आदर्श समय-सीमा

क्रम सं.	**धारा/विनियम**	**कार्य का वर्णन**	**मानक**	**अद्यतन समयसीमा (दिनों में)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

[34] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित।

1	धारा 33 और 34	समापन का प्रारंभ और परिसमापक की नियुक्ति	एल.सी.डी.	0=टी
2	धारा 33(1) (ख) (ii)/विनियम 12(1,2,3)	प्ररूप ख में सार्वजनिक उद्घोषणा	परिसमापक की नियुक्ति के 5 दिन के भीतर	टी+5
3	विनियम 35(2)	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की नियुक्ति	एल.सी.डी. के 7 दिन के भीतर	टी+7
4	[35][धारा 38(1), विनियम 17,18 और 21क]	दावे प्रस्तुत करना;	एल.सी.डी. के 30 दिन के भीतर	टी+30
		प्रतिभूति हित के त्याग पर विनिश्चय की सूचना		
5	धारा 38(5)	दावे की वापसी/उपांतरण	दावा प्रस्तुत करने के 14 दिन के भीतर	टी+44
6	विनियम 30	विनियम 12(2)(ख) के अधीन प्राप्त दावों का सत्यापन	दावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 30 दिन के भीतर	टी+60
7	विनियम 31क	एस.सी.सी. का गठन	एल.सी.डी. के 60 दिन के भीतर	टी+60
8	धारा 40(2)	दावे स्वीकार/अस्वीकार करने के विनिश्चय के बारे में सूचना	दावास्वीकार या अस्वीकार किए जाने के 7 दिन के भीतर	टी+67
9	विनियम 31(2)	हितधारकों की सूचना फाइल करना और सार्वजनिक उद्घोषणा करना	दावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 45 दिन के भीतर	टी+75
10	धारा 42	परिसमापक के विनिश्चय के विरुद्धलेनदार द्वारा अपील	ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति से 14 दिन के भीतर	टी+81
11	विनियम 13	ए.ए. को प्रारंभिक रिपोर्ट	एल.सी.डी. के 75 दिन के भीतर	टी+75

[35] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.062, दिनांकित 05-08-2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

12	विनियम 34	आस्ति ज्ञापन	एल.सी.डी. के 75 दिन के भीतर	टी+75
13	विनियम 15(1), (2),(3),(4) और (5) और 36	ए.ए. को प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना; प्रत्येक प्रगति रिपोर्ट के साथ आस्ति विक्रय रिपोर्ट, यदि विक्रय किए जाते हैं, संलग्न की जाए	प्रथम प्रगति रिपोर्ट	क्यू1+15
			तिमाही-2	क्यू2+15
			तिमाही-3	क्यू3+15
			तिमाही-4	क्यू4+15
			वि.वर्ष: 1वितीय वर्ष के लिए परिसमापक की प्राप्ति और संदायों के संपरीक्षितलेखे	15 अप्रैल
14	विनियम 15(1) का परन्तुक	परिसमापक न रहने की दशा में प्रगति रिपोर्ट	परिसमापक न रहने के 15 दिन के भीतर	परिसमापक न रहने की तारीख +15
15	विनियम 37(2,3)	प्रतिभूत लेनदारों को सूचना	प्रतिभूत लेनदारों से सूचना की प्राप्ति के 21 दिन के भीतर	सूचना की तारीख +21
16	विनियम 42(2)	हितधारकों को आगमों का वितरण	रकम की प्राप्ति से 3 मास के भीतर	वसूली की तारीख+90
17	विनियम 10(1)	दुर्भर संपत्ति के दावात्याग के लिए ए.ए. को आवेदन	एल.सी.डी. से 6 मास के भीतर	टी+6 मास
18	विनियम 10(3)	दुर्भर संपत्ति या संविदा में हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना	[36][अस्वीकरण] के लिए ए.ए. को आवेदन करने से कम से कम 7 दिन पूर्व	
19	विनियम 44	कारपोरेट ऋणी का समापन	एक वर्ष के भीतर	टी+365
[37][20	विनियम 46	अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों को जमा करना	विनियम 45 के उप-विनियम (3) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व]	
21	अनुसूची 1, क्रम सं. 12	एच1 बोलीकर्ता को अतिशेष विक्रय	अतिशेष रकम प्रदान करने के लिए आमंत्रण	

[36] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.062, दिनांकित 05-08-2020 द्वारा प्रतिस्थापित।
[37] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.053, दिनांकित 06-01-2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

		प्रतिफल प्रदान करने के लिए समयावधि	की तारीख से 90 दिन के भीतर	

[ए.ए.: न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, एल.सी.डी.: समापन प्रारंभ होने की तारीख, एस.सी.सी.: हितधारक परामर्श समिति]"।

[38][47क. लॉक डाउन की अवधि का अपवर्जन

संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप अधिरोपित लॉक-डाउन की अवधि की गणना किसी समापन प्रक्रिया के संबंध में ऐसे किसी कार्य के लिए समय-सारणी की संगणना के प्रयोजनों के लिए नहीं की जाएगी जो कि ऐसे लॉक-डाउन के कारण पूरा नहीं किया जा सका था।]

अनुसूची I

निजी बिक्री या बोली लगाने का तरीका

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 35 के तहत)

1. नीलामी

(1) यदि कोई आस्ति नीलामी के माध्यम से बेची जाती है तो परिसमापक यहां विनिर्दिष्ट तरीके से ऐसा करेगा।

(2) परिसमापक आस्ति की बिक्री के लिए विपणन व्यावसायिकों, यदि अपेक्षित हो, की सहायता से एक विपणन रणनीति तैयार करेगा। इस नीति में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा -

(क) विज्ञापन जारी करना;

(ख) आस्ति हेतु सूचना पत्र तैयार करना;

(ग) बोर्ड द्वारा निर्धारित और कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट, यदि कोई हो तो पर बिक्री का एक नोटिस डालना; और

(घ) एजेंटों के साथ संपर्क

(3) परिसमापक बिक्री के निबंधन एवं शर्तें तैयार करेगा जिसमें आरक्षित मूल्य, बयाना राशि और पूर्व-बोली अहर्ताएं (यदि कोई है तो) शामिल होंगी।

[39][(4) आरक्षित कीमत, विनियम 35 के अनुसार निकाला गया आस्ति का मूल्य होगा ।

(4क) जहां कोई नीलामी आरक्षित कीमत पर असफल हो जाती है वहां परिसमापक पश्चात्वर्ती नीलामी के संचालन करने के लिए आरक्षित कीमत को ऐसे मूल्य के पच्चीस प्रतिशत तक घटा सकेगा ।

(ख) जहां कोई नीलामी खंड (क) के अधीन घटाई गई कीमत पर असफल हो जाती है वहां पश्चात्वर्ती नीलामियों में आरक्षित कीमत को एक बार में अधिकतम दस प्रतिशत तक और घटाया जा सकेगा ।]

(5) परिसमापक विनियम 12(3) में विनिर्दिष्ट तरीके में किसी निलामी की सार्वजनिक घोषणा करेगा।

(6) परिसमापक इच्छुक क्रेताओं द्वारा आवश्यक तत्परता से सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

---

[38] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.060, दिनांकित 20-04-2020 द्वारा अंतःस्थापित।

[39] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित।

(7) परिसमापक आस्तियों की बिक्री बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी ऑनलाइन पोर्टल, यदि कोई है तो, पर इलेक्ट्रॉनिक निलामी के माध्यम से करेगा जहां इच्छुक क्रेता बोली लगाने के लिए रजिस्टर, बोली और अपनी ऑनलाईन बोली के लिए स्वीकृत किए जाने की पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

(8) यदि परिसमापक का मानना है कि भौतिक निलामी आस्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि को अधिकतम कर सकती है और लेनदारों के हित में है तो वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के बाद भौतिक निलामी के द्वारा आस्तियों की बिक्री कर सकता है।

(9) कोई भी निलामी पारदर्शी होगी और किसी भी स्थान से लगाई गई सबसे अधिक बोली अन्य सभी बोली लगाने वाले को दिखाई जाएगी।

(10) यदि परिसमापक का यह मानना है कि जहां निलामी में बोली की राशि दिखाई नहीं देने से वहां आस्तियों की बिक्री से अधिकतम प्राप्ति होने की संभावना है और लेनदारों के हित में है तो वह इस तरीके से निलामी आयोजित करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से इसकी अनुमति, लिखित में, मांग सकता है।

(11) यदि अपेक्षित है तो परिसमापक आस्तियों की बिक्री से अधिकतम प्राप्ति के लिए बार-बार निलामी आयोजित कर सकता है और लेनदारों के हितों को बढ़ावा दे सकता है।

[40][(12) नीलामी के बन्द होने पर, उच्चतम बोलीकर्ता को अतिशेष विक्रय प्रतिफल, ऐसी मांग किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर देनेके लिए आमंत्रित किया जाएगा :

परन्तु तीस दिन के पश्चात् किए गए संदायों पर 12% की दर पर ब्याज लगेगा:

परन्तु यह और कि यदि नब्बे दिन के भीतर संदाय प्राप्त नहीं होता है तो विक्रय रद्द कर दिया जाएगा ।

(13) संपूर्ण रकम का संदाय कर दिए जाने पर विक्रय पूरा हो जाएगा, परिसमापक ऐसी आस्तियों के अंतरण के लिए विक्रय-प्रमाणपत्र या विक्रय विलेख निष्पादित करेगा और आस्तियां विक्रय के निबंधनों में विनिर्दिष्ट रीति में उसे परिदत्त कर दी जाएंगी ।]

2. निजी बिक्री

(1) जहां कोई आस्ति निजी बिक्री के माध्यम से बेची जानी है वहां परिसमापक यहां विनिर्दिष्ट तरीके में बिक्री आयोजित करेगा।

(2) परिसमापक निजी बिक्री द्वारा बेची जाने वाली आस्तियों के लिए इच्छुक क्रेताओं तक पहुंचने की एक रणनीति तैयार करेगा।

(3) निजी बिक्री खुदरा दुकानों के माध्यम से, या अन्य किन्हीं साधनों के द्वारा, जिनसे आस्तियों की बिक्री से अधिकतम प्राप्ति होने की संभावना होती है, इच्छुक क्रेताओं या उनके एजेंटों के साथ संपर्क करके की जा सकती है।

(4) बिक्री, बिक्री की शर्तों के अनुसरण में समाप्त मानी जाएगी।

[40] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(5) उसके बाद आस्तियां बिक्री की शर्तों में उल्लिखित तरीके से आस्तियों के लिए पूरा भुगतान प्राप्त होने पर क्रेता को दे दी जाएगी।

अनुसूची-II

प्ररूप-क पक्षकारों के साथ हुए विचार-विमर्श की रिपोर्टिंग के लिए प्रपत्र

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 8 के अधीन]

प्रत्येक पक्षकार या सदृश पक्षकारों के समूह द्वारा उपयोग के लिए पृथक प्रपत्र

समापन का नाम और पंजीकरण संख्या:	
कारपोरेट ऋणी, जिसका समापन किया जा रहा है, का नाम:	
समापन मामला संख्या:	
पक्षकार का नाम: विचार-विमर्श की तारीख (यदि व्यक्तिगत रूप से हुआ है): पक्षकारों से प्राप्त पत्रों की संख्या और तारीखें: विचार-विमर्श का सारांश:	

अनुसूची-II

[41][प्ररूप ख

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 का विनियम 12]

.........(कारपोरेट ऋणी का नाम) के हितधारकों के ध्यानाकर्षण हेतु

	सुसंगत विशिष्टियां	ब्यौरे
1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2.	कारपोरेट ऋणी के निगमन की तारीख	
3.	कारपोरेट ऋणी किस प्राधिकारी के अधीन निगमित/रजिस्ट्रीकृत है	
4.	कारपोरेट ऋणी का निगमन पहचान सं./सीमित दायित्व पहचान सं.	
5.	कारपोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) के पते	
6.	दिवाला समाधान प्रक्रिया बन्द होने की तारीख	
7.	कारपोरेट ऋणी की समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख	
8.	परिसमापक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला व्यावसायिक का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
9.	परिसमापक का पता और ई-मेल, जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत है	

[41] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.037, दिनांकित 22-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

10.	परिसमापक के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पता और ई-मेल	
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	

यह सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (न्यायपीठ का नाम) ने ....(संहिता की धारा 33 के अधीन समापन संबंधी आदेश पारित करने की तारीख) को..................(कारपोरेट ऋणी का नाम) की समापन प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है ।

हितधारकों (कारपोरेट ऋणी का नाम) से सबूत सहित अपने दावे ....[42][(*समापन प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन के भीतर आने वाली तारीख लिखे)*] को या उससे पूर्व परिसमापक को प्रविष्टि सं. 10 के सामने उल्लिखित पते पर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ।

वित्तीय लेनदार सबूत सहित अपने दावे केवल इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा ही प्रस्तुत करेंगे । अन्य सभी लेनदार सबूत सहित अपने-अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे ।

दावों के संबंध में मिथ्या या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर शास्तियां लागू होंगी ।

परिसमापक का नाम और हस्ताक्षर:

तारीख और स्थान:]

अनुसूची-II

प्ररूप-ग

श्रमिकों और कर्मचारियों के अलावा परिचालन लेनदारों द्वारा दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 17 के अधीन]

[तारीख]

सेवा में,

परिसमापक

(परिसमापक का नाम)

(पता जैसा कि सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित है)

प्रेषक

(परिचालन लेनदार का नाम और पता)

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (कारपोरेट ऋणी का नाम) के समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

[42] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

महोदया/महोदय,

(परिचालन लेनदार का नाम) द्वारा (कारपोरेट ऋणी का नाम) के समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैं:

1.	परिचालन लेनदार का नाम (यदि कोई निगमित निकाय पहचान संख्या और निगमन का प्रमाण देता है, यदि कोई भागीदार या व्यक्तिगत कंपनी सभी भागीदारों या व्यक्तियों के पहचान अभिलेख उपलब्ध कराती है)।	
2.	पत्र व्यवहार के लिए परिचालन लेनदार का पता	
3.	समापन आरंभ होने की तारीख को दावे की कुल राशि जिसमें ब्याज शामिल है और दावे की प्रकृति का विवरण	मूल: ब्याज: कुल दावा:
4.	दस्तावेजों का विवरण जिनके संदर्भ में ऋण प्रमाणित किया जा सकता है	
5.	विवाद के विवरण और मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही लंबित रहने के अभिलेख	
6.	ऋण के ब्यौरे कैसे और कब खर्च किया गया	
7.	कारपोरेट ऋणी और परिचालन लेनदार के बीच कोई पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋणों या अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे जिनका उल्लेख दावे प्रतितुलन के लिए किया जा सकता है	
8.	वस्तुओं या संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व जारी रखने का विवरण जिसके लिए ऋण या अन्य कोई प्रतिभूति है	
[43][8क.	क्या प्रतिभूति हित का त्याग किया गया	हां/नहीं]
9.	उसके पक्ष में किसी हस्तांतरण या ऋण के अंतरण के विवरण	
10.	बैंक खाते के विवरण जिसमें समापन की प्राप्तियों में परिचालन लेनदार का हिस्सा अंतरित किया जा सकता है		
11.	दावे के समर्थन में लगाए गए दस्तावेजों का विवरण	(i) (ii) (iii)

परिचालन लेनदार या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

[43] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित।

(यदि यह परिचालन लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो कृपया प्राधिकार संलग्न करें)
नाम स्पष्ट अक्षरों में
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

*पैन, पासपोर्ट, आधार कार्ड या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

शपथ पत्र

I. मैं (अभिसाक्षी का नाम) वर्तमान में (अभिसाक्षी का पता) का निवासी स्वावलंबी तथा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और कहता हूँ कि:

1. उपर्युक्त कारपोरेट ऋणी समापन प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 20___ का दिन __ और जो अभी भी है, ने ________ के लिए ___ रुपए की राशि में (कृपया मूल्य बताएं) मुझे [या मुझे और (सह भागीदारों का नाम लिखें), मेरे सह भागीदारों को व्यापार में या, जैसा भी मामला हो] उचित रूप से और वास्तव में ऋण लिया है।

2. उक्त राशि या उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मैंने निम्नलिखित निर्दिष्ट दस्तावेजों पर विश्वास किया है:

   [ऋण का प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की सूची]

3. मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार उक्त दस्तावेज सही, मान्य और वास्तविक हैं।

4. मैंने या मेरे भागीदारों ने या उनमें से किसी एक ने या मेरी/हमारी जानकारी या विश्वास में मेरे/हमारे आदेश से किसी व्यक्ति में मेरे हमारे प्रयोग के लिए निम्नलिखित के सिवाय और इसे छोड़कर किसी रीति में संतुष्ठि या प्रतिभूति के लिए उक्त राशि या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया:

   [कारपोरेट ऋणी और परिचालन लेनदार के बीच कोई पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक संव्यवहार के विवरण दें जिनका दावे प्रतितुलन के लिए किया जा सकता है।]

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि इस पर 20 _______ के दिन _______के ______को __________ पर मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं उपर्युक्त में अभिसाक्षी यह सत्यापित और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथनामे के पैरा______से _____ तक की अंतर्वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है और न ही कोई जानकारी छुपायी गई है।

20 _______ के दिन ___________ को _____________ पर सत्यापित

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अनुसूची-II

प्ररूप-घ

वित्तीय लेनदारों द्‌वारा दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 18 के अधीन]

[तारीख]

सेवा में,

परिसमापक

(परिसमापक का नाम)

(पता जैसा कि सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित है)

प्रेषक

(वित्तीय लेनदार का नाम और पता)

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (वित्तीय लेनदार का नाम) के समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदया/महोदय,

(वित्तीय लेनदार का नाम) द्‌वारा (कारपोरेट ऋणी का नाम) के समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैं:

1.	वित्तीय लेनदार का नाम (यदि कोई निगमित निकाय पहचान संख्या और निगमन का प्रमाण देता है, यदि कोई भागीदार या व्यक्तिगत कंपनी सभी भागीदारों या व्यक्तियों के पहचान अभिलेख उपलब्ध कराती है)	
2.	पत्र व्यवहार के लिए वित्तीय लेनदार का पता	
3.	समापन आरंभ होने की तारीख को दावे की कुल राशि जिसमें ब्याज मल: शामिल है और दावे की प्रकृति का विवरण [सावधी ऋण, प्रतिभूत, अप्रतिभूत]	मूल: ब्याज: कुल दावा:
4.	दस्तावेजों का विवरण जिनके संदर्भ में ऋण प्रमाणित किया जा सकता है	
5.	अधिकरण के किसी न्यायालय के किसी आदेश का विवरण जिसने ऋण का भुगतान न करने पर निर्णय दिया है	
6.	ऋण के ब्यौरे कैसे और कब खर्च किया गया	

7.	कारपोरेट ऋणी और वित्तीय लेनदार के बीच कोई पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋणों या अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे जिनका उल्लेख दावे में प्रतितुलन के लिए किया जा सकता है	
8.	धारित प्रतिभूति, प्रतिभूति का मूल्य और जिस तारीख को वह दी गई थी, उसके ब्यौरे	
[44][8क.	क्या प्रतिभूति हित का त्याग किया गया	हां/नहीं]
9.	उसके पक्ष में किसी हस्तांतरण या ऋण के अंतरण के विवरण	
10.	बैंक खाते के विवरण जिसमें समापन की प्राप्तियों में वित्तीय लेनदार का हिस्सा अंतरित किया जा सकता है	
11.	दावे के समर्थन में लगाए गए दस्तावेजों का विवरण	(i) (ii) (iii)
वित्तीय लेनदार या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (यदि यह वित्तीय लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो कृपया प्राधिकार संलग्न करें)		
नाम स्पष्ट अक्षरों में		
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध		
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता		

*पैन, पासपोर्ट, आधार कार्ड या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

शपथ पत्र

I. मैं (अभिसाक्षी का नाम) वर्तमान में (अभिसाक्षी का पता) का निवासी सत्यनिष्ठा तथा दृढ़ता से पुष्टि करता हूँ और कहता हूँ कि:

1. उपर्युक्त कारपोरेट ऋणी समापन प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 20___ का दिन और जो अभी भी है, ने _______ के लिए _______ रुपए की राशि में [कृपया मूल्य बताएं] मुझे [या मुझे और (सह भागीदारों का नाम लिखें), मेरे सह भागीदारों को व्यापार में या, जैसा भी मामला हो] उचित रूप से और वास्तव में ऋण लिया है।
2. उक्त राशि या उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मैंने निम्नलिखित निर्दिष्ट दस्तावेजों पर विश्वास किया है:

   [ऋण का प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की सूची]
3. मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार उक्त दस्तावेज सही, मान्य और वास्तविक हैं।

[44] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित।

4. मैंने या मेरे भागीदारों ने या उनमें से किसी एक ने या मेरी/हमारी जानकारी या विश्वास में मेरे हमारे आदेश से किसी व्यक्ति में मेरे/हमारे प्रयोग के लिए निम्नलिखित के सिवाय और इसे छोड़कर किसी रीति में संतुष्ठि या प्रतिभूति के लिए उक्त राशि या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया:

[कारपोरेट ऋणी और वित्तीय लेनदार के बीच कोई पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक संव्यवहार के विवरण दें जिनका दावे के लिए उल्लेख किया जा सकता है।]

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि इस पर 20___ के दिन ______के ____ को ______ पर मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं उपर्युक्त में अभिसाक्षी यह सत्यापित और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथनामे के पैरा______से______तक की अंतर्वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है और न ही कोई जानकारी छुपायी गई है।

20_____ के दिन ______ को ______ पर सत्यापित

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अनुसूची-II

प्ररूप-ड.

किसी श्रमिक या कर्मचारी द्वारा दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 19 के अधीन]

[तारीख]

सेवा में,

परिसमापक

(परिसमापक का नाम)

(पता जैसा कि सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित है)

प्रेषक

(श्रमिक/कर्मचारी का नाम और पता)

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (श्रमिक/कर्मचारी का नाम) के समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदया/महोदय,

(श्रमिक/कर्मचारी का नाम) द्वारा (कारपोरेट ऋणी का नाम) के समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैं:

1.	श्रमिक/कर्मचारी का नाम	
2.	पत्र व्यवहार के लिए श्रमिक/कर्मचारी का पता	
3.	पत्र व्यवहार के लिए श्रमिक/कर्मचारी का नाम और ई-मेल पता (यदि हो)	
4.	दावे की कुल राशि [समापन प्रारंभ होने की तारीख को ब्याज सहित]	
5.	दस्तावेजों का विवरण जिनके संदर्भ में ऋण प्रमाणित किया जा सकता है	
6.	अधिकरण के किसी न्यायालय के किसी आदेश का विवरण जिसने ऋण का भुगतान न करने पर निर्णय दिया है	
7.	विवरण की दावे कैसे और कब उत्पन्न हुए	
8.	कारपोरेट ऋणी और श्रमिक/कर्मचारी के बीच कोई पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋणों या अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे जिनका उल्लेख दावे में प्रतितुलन के लिए किया जा सकता है	
9.	बैंक खाते के विवरण जिसमें समापन की प्राप्तियों में श्रमिक/कर्मचारी का हिस्सा अंतरित किया जा सकता है	
10.	दावे के समर्थन में लगाए गए दस्तावेजों का विवरण	(i) (ii) (iii)

श्रमिक/कर्मचारी या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर [यदि यह श्रमिक/कर्मचारी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो कृपया प्राधिकार संलग्न करें]
नाम स्पष्ट अक्षरों में
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

शपथ पत्र

I. मैं (अभिसाक्षी का नाम) वर्तमान में (अभिसाक्षी का पता) का निवासी सत्यनिष्ठा तथा दृढ़ता से पुष्टि करता हूँ और कहता हूँ कि:

1. उपर्युक्त कारपोरेट ऋणी समापन प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 20___ का दिन और जो अभी भी है, ने _______के लिए _______ रुपए की राशि में [कृपया मूल्य बताएं] मुझे [या मुझे और (सह भागीदारों

का नाम लिखें), मेरे सह भागीदारों को व्यापार में या, जैसा भी मामला हो] उचित रूप से और वास्तव में ऋण लिया है।

2. उक्त राशि या उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मैंने निम्नलिखित निर्दिष्ट दस्तावेजों पर विश्वास किया है:

   [ऋण का प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की सूची]

3. मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार उक्त दस्तावेज सही, मान्य और वास्तविक हैं।

4. मैंने या मेरे भागीदारों ने या उनमें से किसी एक ने या मेरी/हमारी जानकारी या विश्वास में मेरे हमारे आदेश से किसी व्यक्ति में मेरे हमारे प्रयोग के लिए निम्नलिखित के सिवाय और इसे छोड़कर किसी रीति में संतुष्ठि या प्रतिभूति के लिए उक्त राशि या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया:

   [कारपोरेट ऋणी और श्रमिक/कर्मचारी के बीच कोई पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक संव्यवहार के विवरण दें जिनका दावे के लिए उल्लेख किया जा सकता है।]

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि इस पर 20______ के दिन _______ के _______ को __________पर मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं उपर्युक्त में अभिसाक्षी यह सत्यापित और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथनामे के पैरा__ से___तक की अंतर्वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है और न ही कोई जानकारी छुपायी गई है।

20___ के दिन __________ को ______________ पर सत्यापित

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अनुसूची II

प्ररूप-च

श्रमिक या कर्मचारी के प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा दावे का सबूत

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 19 के तहत)

दिनांक _______

सेवा में,

परिसमापक

[परिसमापक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिए अनुसार पता]

प्रेषक

[श्रमिक या कर्मचारी के प्राधिकृत प्राधिकारी का नाम और पता]

विषय : दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कारपोरेट ऋणी का नाम] के समापन के संबंध में दावे का सबूत।

महोदय/महोदया,

मैं [श्रमिक/कर्मचारी के विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम] निवासी [श्रमिक/कर्मचारी के विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि का पता] उपर्युक्त कारपोरेट ऋणी द्वारा नियुक्त श्रमिक और कर्मचारी की ओर से सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और कथित करता हूँ कि:

1. उपर्युक्त कारपोरेट ऋणी, समापन प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् दिनांक _______ को और अभी तक सही और उचित मायनों में कुछ लोगों का देनदार है जिनमें नाम, पते और विवरण नीचे अनुलग्नक में दिए गए हैं, ऐसे अनुलग्नक में उनके नामों के सामने मजदूरी, पारिश्रमिक और उनकी अन्य बकाया राशि भी उनके नामों के सम्मुख दी गई है, जो कारपोरेट ऋणी की सेवा में कर्मकारों या कर्मचारियों द्वारा कारपोरेट ऋणी को ऐसी अवधी के दौरान दी गई सेवाओं के लिए उक्त अनुलग्नकों में क्रमशः उनके नामों के सामने दिए गए हैं।
2. उक्त राशियों या उनके किसी भाग के लिए, ना तो उन्होंने और न ही उनमें से किसी ने ऋणमुक्ति या प्रतिभूति, जैसा भी हो, का निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई तरीका प्राप्त नहीं किया गया -
   [कृपया कारपोरेट ऋणी और श्रमिक/कर्मचारी के बीच किसी म्यूचुअल जमा, म्यूचुअल बकाया, या अन्य म्युचुअल लेन-देन का विवरण दें, जो उक्त दावे के मुकाबले में निर्धारित हों]

हस्ताक्षर :

अनुलग्नक

1. कर्मचारियों/श्रमिकों का विवरण

क्र.सं.	कर्मचारियों/श्रमिकों के नाम	पहचान संख्या (पैन/पासपोर्ट संख्या/आधार संख्या/निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र और कर्मचारी पहचान सं. यदि कोई है तो	कुल बकाया राशि और दावे प्रकृति का विवरण	बकाया राशि की अवधि	रोजगार संविदा और अन्य सबूतों के सहित ऋण के साक्ष्यों का विवरण
1.					
2.					
3.					
4.					

5.					

2. कारपोरेट ऋणी द्वारा किस प्रकार बकाया रखने के ब्यौरे और किसी झगड़े, मुकदमे के बकाया अभिलेख या मध्यस्था कार्रवाइयों के ब्यौरे दें।
3. कारपोरेट ऋणी और श्रमिकों/कर्मचारियों के बीच किसी म्युचुअल जमा, म्युचूअल बकाया या अन्य म्यूचुअल लेनदेन का ब्यौरा दें, जो प्रति तुलन में लाए जा सकते हैं।
4. कृपया दावे को सिद्ध करने के लिए आधारित दस्तावेजों की सूची तैयार करें और संलग्न करें।

शपथ पत्र

I. मैं (अभिसाक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) सत्यनिष्ठा तथा दृढ़ता से पुष्टि करता हूँ और कहता हूँ कि:

1. उपर्युक्त कारपोरेट ऋणी समापन प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 20____ का दिन और जो अभी भी है, [कृपया रोजगार की प्रकृति और अवधि बताएं] के लिए .... रु. की राशि में कार्मिक और कर्मचारी के उचित और सही मायनों में ऋणी है।

2. उक्त राशि या उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मैंने निम्नलिखित निर्दिष्ट दस्तावेजों पर विश्वास किया है:

[ऋण का प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की सूची]

3. मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार उक्त दस्तावेज सही, मान्य और वास्तविक हैं।

4. श्रमिकों/कर्मचारियों या उनमें से किसी एक ने या मेरी/हमारी जानकारी या विश्वास में मेरे/हमारे आदेश से किसी व्यक्ति में मेरे हमारे प्रयोग के लिए निम्नलिखित के सिवाय और इसे छोड़कर किसी रीति में संतुष्ठि या प्रतिभूति के लिए उक्त राशि या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया:

[कारपोरेट ऋणी और श्रमिक/कर्मचारी के बीच कोई पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक संव्यवहार के विवरण दें जिनका दावे के लिए उल्लेख किया जा सकता है।]

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि इस पर 20 ____ के दिन ________ के ________ को ____________ पर मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं उपर्युक्त में अभिसाक्षी यह सत्यापित और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथनामे के पैरा__से ____ तक की अंतर्वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है और न ही कोई जानकारी छुपायी गई है।

20 ____ के दिन ________________ को ________________पर सत्यापित

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अनुसूची II

प्ररूप-छ

किसी अन्य हितधारक द्‌वारा किए गए दावे का सबूत

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 20 के तहत)

दिनांक ....

सेवा में,

परिसमापक

[परिसमापक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिए अनुसार पता]

प्रेषक

[अन्य हितधारक का नाम और पता]

विषय : दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत [कारपोरेट ऋणी का नाम] के समापन के संबंध में दावे का सबूत प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदय,

[अन्य हितधारक का नाम] एतदद्‌वारा [कारपोरेट ऋणी का नाम] के मामले में समापन के संबंध में दावे का यह सबूत प्रस्तुत करता है। इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

1.	अन्य शेयरधारक का नाम (यदि कोई निगमित निकाय पहचान संख्या और निगमन का सबूत प्रदान करती है। यदि कोई साझेदार या व्यक्ति के पहचान अभिलेख प्रदान करता है।	
2.	पत्राचार के लिए अन्य हितधारक का पता और ई-मेल	
3.	समापन प्रारंभ होने से किसी ब्याज सहित दावे की कुल राशि और दावे की प्रकृति	मूल: दावा : ब्याज : कुल दावा :
4.	ऐसे दस्तावेजों का विवरण जिनसे दावा सिद्‌ध किया जा सकता है।	
5.	दावा कैसे और कब किया गया, इसका विवरण	
6.	कारपोरेट ऋणी और हितधारक के बीच कोई म्युचुअल जमा, म्युचुअल ऋण या अन्य म्युचुअल लेनदेनो का विवरण जिनसे दावों का प्रतितुलन किया जा सके।	

7.	उन वस्तुओं या संपत्तियों के संबंध में शीर्षक के किसी प्रतिधारण का विवरण जो दावों का संदर्भ देते हों।	
8.	उसके हित में ऋण के हस्तांतरण या किसी कार्य का विवरण	
9.	उस बैंक खाते का विवरण जिसमें समापन के लाभांशों का अन्य हितधारकों का हिस्सा हस्तांतरित किया जा सके।	
10.	दावे के समर्थन में दस्तावेजों की सूची तैयार करें और संलग्न करें।	(i) (ii) (iii)

अन्य हितधारक या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (कृपया प्राधिकार संलग्न करें, यदि यह अन्य शेयरधारक की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है)
स्पष्ट अक्षरों में नाम
लेनदार के संबंध में स्थिति
हस्ताक्षरकर्ता का पता

*पैन, पासपोर्ट, आधार कार्ड या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

शपथ पत्र

I. मैं (अभिसाक्षी का पूरा नाम, पता और व्यवसाय लिखें) सत्यनिष्ठा तथा दृढ़ता से पुष्टि करता हूँ और कहता हूँ कि:

1. उपर्युक्त कारपोरेट ऋणी समापन प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 20___ का दिन_____________ और जो अभी भी है, ने _____________ के लिए _____________ रुपए की राशि में [कृपया मूल्य बताएं] मुझे [या मुझे और (सह भागीदारों का नाम लिखें), मेरे सह भागीदारों को व्यापार में या, जैसा भी मामला हो] उचित रूप से और वास्तव में ऋण लिया है।

2. उक्त राशि या उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मैंने निम्नलिखित निर्दिष्ट दस्तावेजों पर विश्वास किया है:

[ऋण का प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की सूची]

3. मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार उक्त दस्तावेज सही, मान्य और वास्तविक हैं।

4. मैंने या मेरे भागीदारों ने या उनमें से किसी एक ने या मेरी/हमारी जानकारी या विश्वास में मेरे हमारे आदेश से किसी व्यक्ति में मेरे/हमारे प्रयोग के लिए निम्नलिखित के सिवाय और इसे छोड़कर किसी रीति में संतुष्ठि या प्रतिभूति के लिए उक्त राशि या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया:

[कारपोरेट ऋणी और श्रमिक/कर्मचारी के बीच कोई पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक संव्यवहार के विवरण दें जिनका दावे के लिए उल्लेख किया जा सकता है।]

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि इस पर 20____ के ________ को ________ पर मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं उपर्युक्त में अभिसाक्षी यह सत्यापित और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथनामे के पैरा____ से ________ तक की अंतर्वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है और न ही कोई जानकारी छुपायी गई है।

20____ के दिन _____________ को _____________ पर सत्यापित

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

[45][प्ररूप ज

अनुपालन प्रमाणपत्र

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 45(3) के अधीन]

1. मैं, [*परिसमापक का नाम*] जो कि [दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम] के पास नामांकित एक दिवाला व्यावसायिक हूं और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक [रजिस्ट्रीकरण संख्यांक]के साथ बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हूं, [कारपोरेट ऋणी का नाम] की समापन प्रक्रिया के लिए परिसमापक हूं ।

2. समापन प्रक्रिया के ब्यौरे निम्नलिखित रूप में हैं:

क्रम सं.	विशिष्टियां	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2	मामला सं. और एन.सी.एल.टी. पीठ	
3	समापन आरंभ करने की तारीख	
4	परिसमापक की नियुक्ति करने की तारीख	
5.	सी.आई.आर.पी. के प्रारंभ की तारीख	
6	सी.आई.आर.पी. के दौरान आर. पी. का नाम और आई.पी. के रुप में उसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
7	परिसमापक का नाम और आई.पी. के रूप में उसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
8	प्ररूप ख के अधीन सार्वजनिक उद्‌घोषणा के प्रकाशन की तारीख	

[45] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047, दिनांकित 25-07-2019 द्‌वारा अंतःस्थापित।

9	समापन के प्रारंभ होने के बारे में रजिस्ट्री और इनफॉरमेशन यूटिलिटी, यदि कोई है, को सूचना देने की तारीख	
10	आर.पी. द्वारा भार सौंपने की तारीख	
11	ए.ए. द्वारा समापन आदेश में निदिष्ट अनुपालन, यदि कोई है, प्रस्तुत करने की तारीख और उसकी विशिष्टियां	
12	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, यदि कोई है, की नियुक्ति की तारीख	
13	अवांछित पूंजी/असंदत्त पूंजी अभिदाय के लिए सूचना की तारीख	
14	अवांछित पूंजी/असंदत्त पूंजी अभिदाय की वसूली की तारीख	
15	समापन खाता खोलने की तारीख, बैंक खाते के ब्यौरे सहित	
16	परामर्श समिति के गठन की तारीख	
17	परामर्श समिति की आयोजित की गई बैठकों की संख्या	
18	ए.ए. को हितधारकों की सूची प्रस्तुत करने की तारीख	
19	हितधारकों की सूची की सार्वजनिक उद्घोषणा की तारीख	
20	ए.ए. के समक्ष प्रारंभिक रिपोर्ट और आस्ति ज्ञापन फाइल करने की तारीख	
21	उचित मूल्य	
22	समापन मूल्य	
23	नीलामी के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा की तारीख (कृपया अतिरिक्त पंक्तियां जोड़े, यदि आवश्यक हो)	
24	नीलामी की सार्वजनिक उद्घोषणा को अभिमुक्त करने संबंधी ए.ए. के आदेश की तारीख	
25	भौतिक नीलामी के लिए ए.ए. की अनुज्ञा की तारीख	
26	प्राइवेट विक्रय के लिए ए.ए. की अनुज्ञा की तारीख	
27	अविक्रीत आस्तियों का हितधारकों को वितरण करने के लिए ए.ए. की अनुज्ञा की तारीख	
28	प्रतिभूत लेनदारों द्वारा त्याग न किए गए प्रतिभूति हित वसूल करने के लिए परिसमापक की अनुज्ञा की तारीख	
29	हितधारकों की उपांतरित सूची और उसे ए.ए. को प्रस्तुत करने की तारीख	
30	प्रथम वसूली की तारीख	
31	दूसरी वसूली की तारीख	
32	प्रथम वितरण की तारीख	
33	दूसरे वितरण की तारीख	

34	तिमाही प्रगति रिपोर्ट (वि.वर्ष-1) प्रस्तुत करने की तारीख	
35	ए.ए. को आस्ति विक्रय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	
36	तिमाही प्रगति रिपोर्ट-II प्रस्तुत करने की तारीख	
37	तिमाही प्रगति रिपोर्ट-III प्रस्तुत करने की तारीख	
38	तिमाही प्रगति रिपोर्ट-IV और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	
39	तिमाही प्रगति रिपोर्ट-I प्रस्तुत करने की तारीख(वि.वर्ष 2)	
40	तिमाही प्रगति रिपोर्ट-II प्रस्तुत करने की तारीख	
41	तिमाही प्रगति रिपोर्ट-III प्रस्तुत करने की तारीख	
42	तिमाही प्रगति रिपोर्ट-IV और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	
43	यथा-लागू कानूनी प्राधिकारी को सूचना देने की तारीख (क) भविष्य निधि (ख) कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) (ग) आयकर विभाग (घ) कारखाना निरीक्षक (ङ) जी.एस.टी./वैट (च) अन्य	
[46][44	अदावाकृत लाभांश और अवितरित आगम और विनियम 46 के उप-विनियम (2), (3) और (4) के अधीन उन पर आय और ब्याज जमा करने की तारीख	
45	कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई रकम: (क) अदावाकृत लाभांशों की रकम (ख) अवितरित आगमों की रकम (ग) विनियम 46 के उप-विनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट आय (घ) विनियम 46 के उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट ब्याज कुल	
46	बोर्ड और विनियम 46 के उप-विनियम (5) के अधीन प्राधिकारी को प्रस्तुत करने की तारीख";	
47	ए.ए. को अंतिम रिपोर्ट करने की तारीख (विघटन आवेदन से पूर्व)	

3. आस्ति ज्ञापन और अंतिम विक्रय रिपोर्ट के अनुसार आस्तियों का विवरण निम्न प्रकार है:

[46] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.053, दिनांकित 06-01-2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

क्रम सं.	आस्तियां	विक्रय का ढंग	प्राक्कलित समापन मूल्य	वसूल की गई रकम	समापन खाते में अंतरण करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. (क) समापन संपदा का समापन मूल्य:

(ख) समापन संपदा के विक्रय से वसूल की गई रकम:

(ग) संहिता की धारा 52 या धारा 53 के अनुसार हितधारकों को वितरित की गई रकमें निम्न प्रकार हैं:

(लाख रूपयों में रकम)

क्रम सं.	धारा 53(1) के अधीन हितधारक*	दावाकृत रकम	स्वीकृत रकम	वितरित रकम	दावाकृत रकम के मुकाबले वितरित रकम(%)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	(क):सी.आई.आर.पी. लागत					
2	(क):समापन लागत					
3	(ख)(i)					
4	(ख)(ii)					
5	(ग)					
6	(घ)					
7	(ङ)(i)					
8	(ङ)(ii)					
9	(च)					
10	(छ)					
11	(ज)					
योग						

*यदि किसी प्रवर्ग में कोई उप-प्रवर्ग हैं तो कृपया प्रत्येक उप-प्रवर्ग के लिए पंक्ति जोड़े।

5. समापन प्रक्रिया का संचालन विनियम 47 में उपदर्शित समय-सीमा के अनुसार निम्न प्रकार किया गया है:

संहिता की धारा/विनियम सं.	कार्य का वर्णन	विनियम 47 के अनुसार समय-सीमा	वास्तविक समय-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 33	एल.सी.डी. का प्रारंभ और परिसमापक की नियुक्ति	टी	टी

6. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए विनियमों या जारी किए गए परिपत्रों के विचलन/अननुपालन निम्नलिखित हैं (यदि कोई विचलन/अननुपालन पाया गया था तो कृपया उसके ब्यौरे और कारणो का कथन करें):

क्रम सं.	पाया गया विचलन/अननुपालन	संहिता की धारा/विनियम सं./परिपत्र सं.	कारण	क्या सुधार किया गया है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				

7. विघटन आवेदन [एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व]/[एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात] फाइल किया गया है । कृपया मांगे गए किसी विस्तार का ब्यौरा दें और यदि मंजूर किया गया है तो उसका कारण दें ।

8. संव्यवहारों के परिवर्जन की बाबत फाइल किए गए/लंबित आवेदन(आवेदनों) के ब्यौरे:

क्रम सं.	संव्यवहार का प्रकार	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल करने की तारीख	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश की तारीख	आदेश का सार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	धारा 43 के अधीन अधिमानी संव्यवहार			
2	धारा 45 के अधीन न्यून-मूल्यांकित संव्यवहार			
3	धारा 50 के अधीन उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार			
4	धारा 66 के अधीन कपटपूर्ण संव्यवहार			

9. कारपोरेट ऋणी से संबंधित किसी न्यायालय या अधिकरण के संबंध अनुन्मोचित या लंबित मामले, यदि कोई हैं, के बारे में ए.ए. को रिपोर्ट कर दिया गया है ।

10. मैं (परिसमापक का नाम) प्रमाणित करता हूं कि इस प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं और उसमें से कोई भी तात्विक बात छिपाई नहीं गई है ।

(हस्ताक्षर)

परिसमापक का नाम

आई.पी. रजिस्ट्रीकरण सं.

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल आई.डी.

तारीख:

स्थान:"।

[47][प्ररूप-झ

अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों का निक्षेप

[*भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 46(5) के अधीन*]

क. समापन प्रक्रिया के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2	कारपोरेट ऋणी का पहचान संख्यांक(सी.आई.एन./डी.आई.एन.)	
3	सी.आई.आर.पी. प्रारंभ होने की तारीख	
4	समापन प्रारंभ होने की तारीख	
5	कारपोरेट समापन खाते में जमा करने की तारीख	
6	कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई रकम(रु.)	
7	बैंक खाता, जिसमें से कारपोरेट समापन खाते में रकम अंतरित की गई है - (क) खाता सं.: (ख) बैंक का नाम: (ग) आई.एफ.एस.सी.: (घ) एम.आई.सी.आर.:	

[47] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.053, दिनांकित 06-01-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

	(ङ) बैंक की शाखा का पता:	
8	कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई रकम के ब्यौरे (रु.) (क) अदावाकृत लाभाश (ख) अवितरित आगम (ग) जमा करने की नियत तारीख तक अर्जित आय (घ) नियत तारीख से परे प्रतिधारित रकम पर बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज(कृपया ब्याज की रकम की संगणना दर्शित करें) **कुल**	

ख. अदावाकृत लाभांशों या अवितरित आगमों के हकदार हितधारकों के ब्यौरे

क्रम सं.	अदावाकृत लाभांश या अवितरित आगम प्राप्त करने के हकदार हितधारक का नाम	हितधारक का पता, फोन नं. और ईमेल पता	हितधारक का पहचान संख्यांक (पैन, सी.आई.एन., आधार सं.) (कृपया पहचान सबूत संलग्न करें)	हितधारक को देय रकम (रु.)	दावे की प्रकृति (रु.)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						

ग. कारपोरेट समापन खाते में किए गए निक्षेप के ब्यौरे

मैने(परिसमापक का नाम)कारपोरेट समापन खाते में .... को पावती सं........ द्वारा .... रुपए (......... रुपए केवल) जमा किए हैं ।

मैं*(परिसमापक का नाम*) यह प्रमाणित करता हूं कि इस प्ररूप में दिए गए ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा इसमें किसी भी तात्विक सामग्री को छिपाया नहीं गया है ।

(हस्ताक्षर)
परिसमापक का नाम
आई.पी.रजिस्ट्रीकरण सं.:
बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता:
बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल आई.डी.:

तारीख:
स्थान:

प्ररूप ञ

कारपोरेट समापन खाते में से निकासी

[*भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 46(7) के अधीन*]

क्रम सं.	विवरण	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2.	कारपोरेट ऋणी का पहचान संख्यांक(सी.आई.एन./डी.आई.एन.)	
3.	सी.आई.आर.पी. प्रारंभ होने की तारीख	
4.	समापन प्रारंभ होने की तारीख	
5.	विघटन आदेश की तारीख	
6.	कारपोरेट समापन खाते में जमा करने की तारीख	
7.	निकासी की ईप्सा करने वाले हितधारक का नाम	
8.	हितधारक का पहचान संख्यांक (क) पैन (ख) सी.आई.एन. (ग) आधार सं.	
9.	हितधारक का पता और ईमेल पता	
10.	परिसमापक द्वारा स्वीकृत हितधारक के दावे की रकम	
11.	परिसमापक द्वारा कारपोरेट समापन खाते में हितधारक के नाम में जमा की गई अदावाकृतलाभांश/अवितरित आगम की रकम	

12.	अदावाकृत लाभांश/अवितरित आगम की वह रकम रकम जिसेहितधारक द्वारा कारपोरेट समापन खाते में से निकालने की ईप्सा की गई है	
13.	बैंक खाता, जिसमें कारपोरेट समापन खाते में से रकम अंतरित की जानी है, यदि निकासी का अनुमोदन किया जाता है (क)खाता सं.: (ख)बैंक का नाम: (ग)आई.एफ.एस.सी.: (घ)एम.आई.सी.आर.: (ङ)बैंक की शाखा का पता:	
14.	समापन प्रक्रिया के दौरान लाभांश या आगम न लेने के कारण	
15.	निकासी के लिए आवेदन करने में कोई विधिक अशक्तता?(हां/नहीं) यदि हां, तो ब्यौरा दें	

घोषणा

मैं (*हितधारक का नाम*) वर्तमान पता....(*पता अंतःस्थापित करें*), यह घोषणा और कथन करता हूं:

1. मैं, कारपोरेट समापन खाते में से, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, ...रुपए (.................. रुपए केवल) की राशि प्राप्त करने का हकदार हूं ।

2. उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत, न तो मैने और न ही मेरी जानकारी या विश्वास के अनुसार मेरे आदेश से किसी अन्य व्यक्ति ने मेरे उपयोग के लिए, निम्नलिखित के सिवाय, किसी रीति में कुछ भी तुष्टिकरण या प्रतिभूति प्राप्त की है:.................................

3. यदि बोर्ड यह पाता है कि मैं यह रकम प्राप्त करने का हकदार नहीं हूं तो मैं बोर्ड द्वारा यथा-विनिश्चित संपूर्ण रकम ब्याज सहित लौटाने का वचन देता हूं ।

4. यदि मेरा दावा किसी भी समय मिथ्या पाया जाता है तो मैं बोर्ड को समुचित विधिक कार्रवाई आरंभ करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

तारीख:
स्थान:

(हितधारक के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं (*नाम*) इसके ऊपर हितधारक, यह सत्यापित करता हूं कि इस प्ररूप की अंतर्वस्तु मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और ठीक है तथा इसमें किसी भी तात्विक तथ्य को छिपाया नहीं गया है ।

...............20.. को सत्यापित ।

(हितधारक के हस्ताक्षर)

[*टिप्पण: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबधक/सचिव द्वारा और अन्य इकाइयों की दशा में, इकाई द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वाराकिया जाएगा।*]

अनुसूची III

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

इस अनुसूची में निहित प्रारूप सूचनात्मक प्रकृति के हैं और परिसमापक समापन के तथ्यों और परिस्थितियों में संशोधन यदि उचित समझे, कर सकता है।

रोकड़ बही

कारपोरेट ऋणी का नाम .... (समापनाधीन)

तारीख	विवरण	लेजर फोलियो संख्या	प्राप्ति				भुगतान				शेष		
			वाउचर सं.	रोकड़	बैंक	कुल	वाउचर सं.	रोकड़	बैंक	कुल	रोकड़	बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विवरणों के अंतर्गत लेखाशीर्ष जिससे प्रविष्टि संबंधित है को दर्शाया जाना चाहिए जिससे प्रविष्टि को उचित शीर्ष में सामान्य लेजर के अधीन रखा जा सके।

सामान्य खाता

कारपोरेट ऋणी का नाम .... (समापनाधीन)

.... (लेखाशीर्ष)

तारीख	विवरण	नामे (रु.)	जमा (रु.)	शेष (रु.)
1	2	3	4	5

निदेशः

1. सामान्य खाते को ऐसे लेखाशीर्ष के तहत रखा जाए जैसा परिसमापक आवश्यक और उचित समझे। निम्नलिखित लेखाशीर्ष को उपर्युक्त पाया गया है:

(1) आस्ति लेखा

(2) निवेश लेखा

(3) लेखा ऋण और बकाया लेखा

(4) निविदाएं (काल)

(5) प्राप्त किराया

(6) प्रतिभूतियों और जमाओं पर ब्याज

(7) अग्रिम प्राप्तियां

(8) विविध प्राप्तियां भुगतान

(9) स्थापना

(10) विधि प्रभार

(11) किराया, दरें और कर

(12) फीस और कमीश्न खाता

(13) अन्य खर्चे

(14) उचंत खाता

(15) प्रतिभूत लेनदार

(16) लाभांश खाता

(2) सामान्य खाते में प्रविष्ठियां रोकड़ बही से की जाएं।

(3) रोकड़ बही में दर्शाए गए रोकड़ और बैंक शेष को देखते हुए सामान्य खाते में विभिन्न लेखाशीर्षो के कुल नामे बकाया और कुल जमा शीर्ष में समानता होनी चाहिए। इन राशियों की महीने में एक बार समतुलन किया जाना चाहिए।

बैंक खाता

अनुसूचित बैंक के साथ कारपोरेट ऋणी (समापनाधीन) का खाता

तारीख	विवरण	जमाएं		निकासी	संख्या	शेष
		बीजक संख्या	रु.	चेक संख्या	रु.	रु.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						

आस्तियों का रजिस्टर

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	कब्जे में लेने की तारीख	बिक्री रजिस्टर की क्रम तारीख	बिक्री की तारीख	वसूली की तारीख	राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

3.							

निदेशः

परिसमापक के प्रतिभूतियों में निवेश और बकाया जिनकी वसूली की जानी है को सिवाए कारपोरेट ऋणी की सभी आस्तियां की प्रविष्टि रजिस्टर में की जानी चाहिए।

प्रतिभूती और निवेश रजिस्टर

क्रम संख्या	याचिका संख्या और कारपोरेट ऋणी का नाम	निवेश की तारीख	निवेश की प्रकृति और विवरण जिसमें निवेश किया गया है	निवेश की गयी राशि	प्राप्त लाभांश या ब्याज प्राप्ति की तारीख के साथ	निपटान की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							

लेखा ऋण और बकाया रजिस्टर

क्रम सं.	ऋणी का नाम और पता	ऋण का विवरण	बकाया राशि	सीमा के आधार पर प्रतिबन्ध की तारीख	वसूली की गयी राशि	कृत कार्रवाई	वसूली की तारीख	दावा रजिस्टर का सन्दर्भ	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									

निदेशः

कारपोरेट ऋणी के प्रतिभूत और अप्रतिभूत सभी बकाया ऋण जिसमें समापन से पूर्व ऐरियर के रूप में बकाया राशि भी शामिल है को इस रजिस्टर में दाखिल किया जाए।

किराएदार खाता

(1) संपत्ति का विवरण

(2) किराएदार का नाम और पता

(3) किराए पर देने की तारीख

(4) किराए पर रहने की अवधि

(5) किराया (मासिक या वार्षिक)

(6) विशेष शर्तें, यदि कोई हो

(7) संपत्ति का भार ग्रहण करने की तारीख पर बकाया

(8) अग्रिम प्राप्ति यदि कोई हो

महीना	मांग		वसूली	शेष	टिप्पणी
	राशि रु.	तारीख	राशि रु.	राशि रु.	
1	2	3	4	5	6
जनवरी					
फरवरी					

दावा रजिस्टर

क्रम संख्या	दावा संख्या या अपील और न्यायालय	प्रार्थी का नाम और पता अपीलार्थी और उसका अधिवक्ता	प्रत्यर्थी का नाम और पता प्रतिवादी और उसका अधिवक्ता	दावे की राशि	दायर करने की तारीख	सुनवाई की तारीख	डिक्री की तारीख या अंतिम आदेश	अनुदित छूट की प्रकृति	डिक्री की गयी राशि	डिक्री की गयी लागत	डिक्री रजिस्टर का सन्दर्भ	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												

निदेशः

(1) कारपोरेट ऋणी द्वारा या उसके विरूद्ध आवेदन जो दावे की प्रकृति के हैं उसे इस रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाए।

डिक्री रजिस्टर

दावों या अपीलों की संख्या और न्यायालय	निर्णित ऋणी का नाम और पता	डिक्री की गई राशि	डिक्री की तारीख	की गई कार्रवाई	वसूली गई राशि	वसूली की तारीख	दावा रजिस्टर का सन्दर्भ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

निदेशः

1. रजिस्टर का उद्देश्य परिसमापक को उसके प्रभार में कारपोरेट ऋणी के पक्ष में डिक्री की वसूली की प्रगति पर निगरानी रखना है।
2. प्रत्येक डिक्री या धन के भुगतान या संपत्ति की सुपुर्दगी का आदेश जो कापोरेट ऋणी के पक्ष में है जिसमें लागत के भुगतान का आदेश चाहे वह दावे, अपील या आवेदन में हो को भी इस रजिस्टर में प्रविष्ट करना चाहिए।

दावों और वितरण का रजिस्टर

दावे					घोषित और अदा किए गए वितरण							टिप्पणियाँ			
	लेनदार का नाम और पता	दावाकृत राशि (रुपये)	दावे की प्रकृति (रुपये)	स्वीकृत राशि (रुपये)	क्या सामान्य या अधिमान्य	तारीख	राशि (रुपये)	तारीख और अदायगी का तारीख	दर	राशि (रुपये)	तारीख और अदायगी का तरीका	दर	राशि (रुपये)	तारीख और अदायगी का तरीका	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															

निदेशः

(1) इस रजिस्टर में केवल पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकृत दावों को ही दर्ज किया जाना चाहिए।

(2) बायीं और का पृष्ठ दावे के लिए और दाहिनी ओर का पृष्ठ लाभांश के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

अंशदाता खाता

क्र.सं.	अंशदायी का नाम और पता	धारित किये गए शेयरों की संख्या या हितो की सीमा और उस पर अदा की गयी राशि	बोलियाँ			टिप्पणी	शेयर पूंजी पर रिटर्न			टिप्पणी
			प्रथम बोली		द्वितीय बोली / तृतीय बोली		रिटर्न की तारीख	भुगतान की तारीख	अदा की गई राशि	
			काल करने का विकल्प तारीख और मांगी गई राशि	अदा की गई राशि और अदायगी की तारीख	प्रथम काल में दिए गए कालम को दोहरावें					
1	2	3	4	5	6 से 9	10	11	12	13	14
1										
2										

निदेश:

केवल सूची में उल्लिखित अंशदायिकों की सूची को इस रजिस्टर में दर्ज किया जाए और उन्हें सूची के अनुसार उसी क्रम में दर्ज किया जाए।

वितरण रजिस्टर

वितरण किए जाने की तारीख

इस क्रम में किए गए वितरण की कुल देय राशि

तारीख	हितबद्ध की सूची में संख्या	विवरण	प्राप्ति	भुगतान
1	2	3	4	5

निदेशः

(1) सामान्य और अधिमानी लाभांशों के लिए पृथक पृष्ठ रखे जाएं।

(2) भुगतान जब और जैसे किया जाए उसकी प्रविष्टि रजिस्टर में की जानी चाहिए। ऐसी कोई राशि जो गैर अदायगी के कारण वापस की गई हो को 'प्राप्ति' के तहत खाते में पुनः प्रविष्ट किया जाए।

(3) कालम 2 की संख्या लेनदारों की सूची की संख्या होनी चाहिए जो अंतिम रूप से तय की गई हो।

(4) अदावाकृत वितरण की कुल राशि जो [48][- कारपोरेट समापन खाता] और बैंक में अदा की गई राशि हो को अदायगी की तारीख के साथ खाते के अंत में दर्शाई जानी चाहिए।

फीस रजिस्टर

वसूल की गई राशि जिस पर फीस देय हो	वितरित राशि जिस पर फीस देय हो	अनुवर्ती दो कालमों में दी गई राशि पर देय फीस	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की आदेशों के अधीन देय फीस यदि कोई हो	कुल देय फीस	भुगतान की तारीख
1	2	3	4	5	6
1					
2					

निदेशः

1. प्रत्येक वर्ष एक नया खाता खुलना चाहिए।
2. परिसमापक को देय फीस की प्रविष्टि रजिस्टर में किसी तिमाही के लेखापरीक्षित खातों की समाप्ति के तुरंत बाद किया जाएगा।

उचंत रजिस्टर

तारीख	विवरण	नामे (रुपये)	जमा (रुपये)	शेष (रुपये)
1	2	3	4	5
1				
2				

निदेशः

1. रजिस्टर में परिसमापक द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए अग्रिमों की प्रविष्टि की जाए।

2. प्रत्येक व्यक्ति के लिए पृथक खाते होने चाहिए।

---

[48] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.053, दिनांकित 06-01-2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

दस्तावेज रजिस्टर

क्र.सं.	दस्तावेज का वर्णन	प्राप्ति की तारीख	किससे प्राप्त हुआ	शैल्फ की संदर्भ संख्या जिसमें दस्तावेज रखे गए हों	कैसे निपटान किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

निदेशः

शीर्षक विलेख, शेयर, प्रतिज्ञा पत्र आदि जैसे शीर्षक वाले सभी दस्तावेजों की प्रविष्टि रजिस्टर में की जाए।

बही रजिस्टर

तारीख	किससे प्राप्त हुआ	क्रम संख्या	फाइलों सहित बही का विवरण	शैल्फ संख्या 4	कैसे निपटान किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

निदेशः

कारपोरेट ऋणी की सभी खातों और फाइलों जो परिसमापक के पास हों की प्रविष्टि रजिस्टर में की जाए।

अदावाकृत लाभांश और जमा की गई अवितरित [49][आगम] का रजिस्टर

क्र.सं.	लाभांश या रिटर्न के हकदार व्यक्ति का नाम	क्या लेनदार या अंशदाता है	हितबद्धों की सूची की संख्या	लाभांश या रिटर्न की घोषणा की तारीख	लाभांश या रिटर्न की दर	कुल देय राशि (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7
1						

[49] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.053, दिनांकित 06-01-2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

2						

(डा. एम. एस. साहू)

अध्यक्ष

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड